सत्यमेव जयते
Government of India
Income Tax Department

TDS Centralized Processing Cell

TRACES
TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System

ई ट्यूटोरियल

ऑनलाइन सुधार - पैन सुधार

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार पर महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन उपलब्ध सुधार कार्यक्षमता का उपयोग2007-08 के बाद की सभी प्रकार की त्रुटियाँ जैसे "व्यक्तिगत जानकारी, करदाता विवरण और चालान सुधार" में सुधार किया जा सकता है

त्रुटि या ग़लती के प्रकार	सुधार के प्रकार	वित्तीय वर्ष से उपलब्ध	डी एस सी की आवश्यकता
यदि चालान अनमॅच्ड (बेजोड़) है	चालान सुधार	वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद	नहीं
नए चालान जोड़ें	स्टेट्मेंट में चालान जोड़ें	वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद	नहीं
ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की मांग को हटाने के लिए	220 भुगतान, लेवी, देर दाखिल	वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद	नहीं
करदाता पंक्ति मूव करने के लिए	ओवरबुक चालान के लिए संकल्प (चालान से करदाता पंक्ति में ले जाएँ)	वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद	नहीं
पैन अद्यतन (अपडेट) करने के लिए	पैन सुधार	वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद	हाँ
करदाता पंक्ति को संशोधित (एडिट) / जोड़ना	करदाता विवरण को सांसोधन / जोड़ना	वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद	हाँ
व्यक्तिगत जानकारी को अद्यतन करने के लिए	व्यक्तिगत जानकारी	वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद	हाँ
वेतन विवरण को संशोधित करने के लिए	वेतन विवरण हटाना या जोड़ना	वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद	हाँ

यह सुविधा अत्यंत उपयोगी है:

लागत से मुक्त : ट्रेसेज़ पर ऑनलाइन सुधार करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

समय की बचत: Conso फ़ाइल के लिए अनुरोध और फ़ाइल उपलब्धता के लिए इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक अनुरोध के साथ आप सुधार के प्रकार का चयन कर सकते हैं। सुधार 24 घंटे में संसाधित हो जाता है ।

प्रयास की बचत: किसी भी सॉफ्टवेयर / सीडी / पेन ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लॉग इन् करें और फाइल सुधार करें।

दक्षता बढ़ाने: अलग अलग तरह की त्रुटि में सुधार संभव है । **नोट:** कागज़ी (पेपर) स्टेट्मेंट के लिए ऑनलाइन सुधार नहीं किया जा सकता है ।

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार फाइल करते समय सबसे आम त्रुटियाँ

त्रुटि विवरण	व्याख्या
निर्दिष्ट खोज मापदंड के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है	दर्ज किया गया डेटा वित्तीय वर्ष, तिमाही, फॉर्म प्रकार और नवीनतम टोकन से संबंधित नहीं है, तो यह त्रुटि दिखाई देगी। चयनित खोज मापदंड के लिए स्टेट्मेंट रद्द/ खारिज कर दी गई है
सुधार के लिए अनुरोध पहले से ही निर्दिष्ट खोज मापदंड के लिए प्रस्तुत किया गया है। 'डिफॉल्ट' मेनू के तहत 'ट्रैक करेक्षन रिक्वेस्ट (सुधार अनुरोध) ' स्क्रीन में स्थिति की जांच करें	यह त्रुटि तब होती है जब कटौतीकर्ता ने ऑनलाइन सुधार शुरू कर दी है और वह " इन प्रोग्रेस (प्रगति) पर है जैसे कटौतीकर्ता के अंत में लंबित है।
सिस्टम तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है। कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें।	यह त्रुटि होती है: -जावा 8 (अद्यतन 45) 32 बिट / सिस्टम विन्यास के आधार पर 64 बिट अद्यतन नहीं है।जावा अद्यतन करने के बाद सिस्टम को पुनः आरंभ करें - ब्राउज़िंग इतिहास, कुकीज़, अस्थायी फ़ाइलों को हटाए - पॉप अप अवरोधक अब (वर्तमान)सक्षम नहीं है। -ब्राउज़र ऑनलाइन सुधार के साथ आगे बढ़ने के लिए संगत नहीं है
अनुरोध व्यवस्थापक (एडमिन) उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत किया गया है	यह व्यवस्थापक(एडमिन) उपयोगकर्ता को सौंपा गया है और व्यवस्थापक (एडमिन) उपयोगकर्ता से लंबित होगा। केवल व्यवस्थापक(एडमिन) उपयोगकर्ता को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का अधिकार है
गैर कटौती के लिए कारण अनिवार्य है	यह त्रुटि तब होती जब कटौतीकर्ता विकल्प को संशोधित / जमा और टीडीएस ऐड में कटौती की कुल टीडीएस के कॉलम में "0" लिखता है
कम कटौती के लिए कारण अनिवार्य है	कटौतीकर्ता हे 'ए' फ्लॅग का चयन नहीं किया गया है तब यह त्रुटि होती है
उच्च कटौती के लिए कारण अनिवार्य है	कटौतीकर्ता हे 'सी' फ्लॅग का चयन नहीं किया गया है तब यह त्रुटि होती है

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार फाइल करते समय सबसे आम त्रुटि (जारी रखें)

त्रुटि विवरण	व्याख्या
राशि में वृद्धि ब्याज (15) के रूप में दावा, अन्य राशि के रूप में क्लेम्ड (16) और लेवी (8) चालान में शेष उपलब्ध राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए	कटौतीकर्ता चालान की शेष उपलब्ध संतुलन (कॉलम कोई 13) की तुलना में अधिक का क्लेम करते हैं तो यह त्रुटि होती है।
ट्रेसेज़ पर ऑनलाइन सुधार का अनुरोध स्टेट्मेंट के लिए उपलब्ध नहीं है। कृपया एनएसडीएल के माध्यम से सुधार फाइल और बाद में ट्रेसेज़ पर सुधार फाइल कर सकते है	यह त्रुटि तब होती है जब विशेष स्टेट्मेंट वित्तीय वर्ष और तिमाही के लिए ट्रेसेज़ से संसाधित नहीं है। कटौतीकर्ता को एनएसडीएल में कॉंसो फ़ाइल के साथ सुधार स्टेट्मेंट फाइल करनी होगी और वह ट्रेसस द्वारा संसाधित की जाएगी , तब वह ऑनलाइन सुधार के लिए सक्षम हो जाएगी
अधिकृत व्यक्ति का पैन / जिम्मेदार व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी ट्रेसस प्रोफाइल के अनुसार होनी चाहिए । कृपया सुधार फ़ाइल में अधिकृत / जिम्मेदार व्यक्ति की पैन अपडेट करें	यह त्रुटि तब होती है जब ट्रेसेज़ की प्रोफ़ाइल अनुभाग में अधिकृत व्यक्ति के पैन / स्टेट्मेंट की व्यक्तिगत जानकारी में उल्लेख पैन से अलग है, कटौतीकर्ता ही व्यक्तिगत जानकारी में पैन को अपडेट करने की जरूरत है।
टैगिंग के लिए वित्तीय वर्ष (जैसे 2014-15) के लिए कोई उपलब्ध नही है । ड्रॉप डॉन से वित्तीय वर्ष का चयन करेंया या चालान जमा करें या कॉंसो फ़ाइल के लिए अपने एओ से संपर्क करें (यदि चालान में परिवर्तन की आवश्यकता है)	यह त्रुटि हो सकती है जब पुस्तक प्रविष्टि (बुक एंट्री) में फ्लॅग "हाँ" है जो "नहीं" होना चाहिए कृपया जोड़ें / संशोधित चालान ई-ट्यूटोरियल देखें या गलत टैन या आकलन वर्ष चालान पर उल्लेख किया गया है, इस सुधार के लिए एओएल से संपर्क करें।

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन करेक्षन- पैन सुधार के लिए संक्षिप्त कदम

- यह सुविधा कटौतीकर्ता को पैन मास्टर में उपलब्ध वैध पैन के साथ अवैध पैन अद्यतन करने के लिए सक्षम बनाता है
- यह कार्यक्षमता वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद से उपलब्ध है
- 24क्यू अनुबंध II के मामले में, पैन सुधार वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से उपलब्ध है
- ट्रेसेज़ पर सुधार करने से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पंजीकृत होना चाहिए। नियमित स्टेट्मेंट ट्रेसेज़ से संसाधित होनी चाहिए
- यदि स्टेट्मेंट ट्रेसेज़ से संसाधित नहीं है, तो कॉसो फ़ाइल के माध्यम से सी1 (व्यक्तिगत सूचना) दर्ज करे तब ही ट्रेसेज़ पर ऑनलाइन सुधार के लिए आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।
- **कदम 1** : ट्रेसेज़ वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- **कदम 2** : संबंधित तिमाही के वित्तीय वर्ष, फॉर्म प्रकार, नवीनतम स्वीकृत टोकन नंबर दर्ज करके "डिफॉल्ट " के तहत " रिक्वेस्ट फॉर करेक्षन (सुधार के लिए अनुरोध)" के लिए जाओ।
- सुधार श्रेणी "ऑनलाइन" होनी चाहिए।
- अनुरोध नंबर उत्पन्न हो जाएगा।
- **कदम 3** : अनुरोध "ट्रैक करेक्षन रिक्वेस्ट (सुधार अनुरोध)" के तहत उपलब्ध होगी
- सुधार के लिए अनुरोध स्थिति "अवेलबल (उपलब्ध) " या "इन प्रोग्रेस (प्रगति) पर क्लिक करे
- मान्य केवाईसी की जानकारी प्रदान करें
- **कदम 4** : नीचे "पॅन सुधार" के रूप में ड्रॉपडॉन से सुधार श्रेणी के प्रकार का चयन करें
- **कदम 5 :** चयनित फ़ाइल में आवश्यक सुधार करें
- **कदम 6** :अपने सुधार प्रस्तुत करने के लिए " सब्मिट फॉर करेक्षन (प्रसंस्करण के लिए भेजें)" पर क्लिक करें (व्यवस्थापक उपयोगकर्ता के लिए ही उपलब्ध है)
- **कदम 7** : 15 अंक टोकन नंबर उत्पन्न होता है और पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार अनुरोध की स्थिति:

- **रिक्वेस्टेड** - उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट सुधार के लिए अनुरोध करते हैं।
- **इनिशीयेटेड** - अनुरोध टीडीएस सीपीसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।
- **अवेलबल** - सुधार के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है और स्टेट्मेंट सुधार के लिए उपलब्ध है। उपयोगकर्ता स्टेट्मेंट पर काम कर रहा है। उपयोगकर्ता सत्यापन करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें ।उपयोगकर्ता जब 'अवेलबल (उपलब्ध)' पर क्लिक करता है तब स्टेट्मेंट के लिए अनुरोध स्थिति ' इन प्रोग्रेस (प्रगति) में बदल जाएगा ।
- **फेल्ड** - तकनीकी त्रुटि के कारण अनुरोध उपलब्ध नही कराया जा सकता है। उपयोगकर्ता जानकारी के लिए अनुरोध फिर से जमा कर सकते हैं ।
- **इन प्रोग्रेस** - उपयोगकर्ता स्टेट्मेंट पर काम कर रहा है। उपयोगकर्ता सत्यापन करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें ।
- **सब्मिटेड तो आडमिन यूज़र** - उप-उपयोगकर्ता / व्यवस्थापक उपयोगकर्ता व्यवस्थापक उपयोगकर्ता को सुधार स्टेट्मेंट प्रस्तुत की गई है ।
- **सब्मिटेड तो आइ टी डी** - व्यवस्थापक उपयोगकर्ता प्रसंस्करण के लिए अपने को सुधार स्टेट्मेंट प्रस्तुत कर दी है ।
- **प्रोसेस्ड** - स्टेट्मेंट टीडीएस सीपीसी द्वारा संसाधित किया गया है (फॉर्म 26 एएस के लिए या डिफॉल्ट के लिए) ।
- **रिजेक्टेड** - स्टेट्मेंट प्रसंस्करण के बाद टीडीएस सीपीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकृति कारणों 'टिप्पणी' कॉलम में प्रदर्शित किया गया है ।

Copyright © 2012 Income Tax Department

ट्रेसेज़ लॉग इन करें

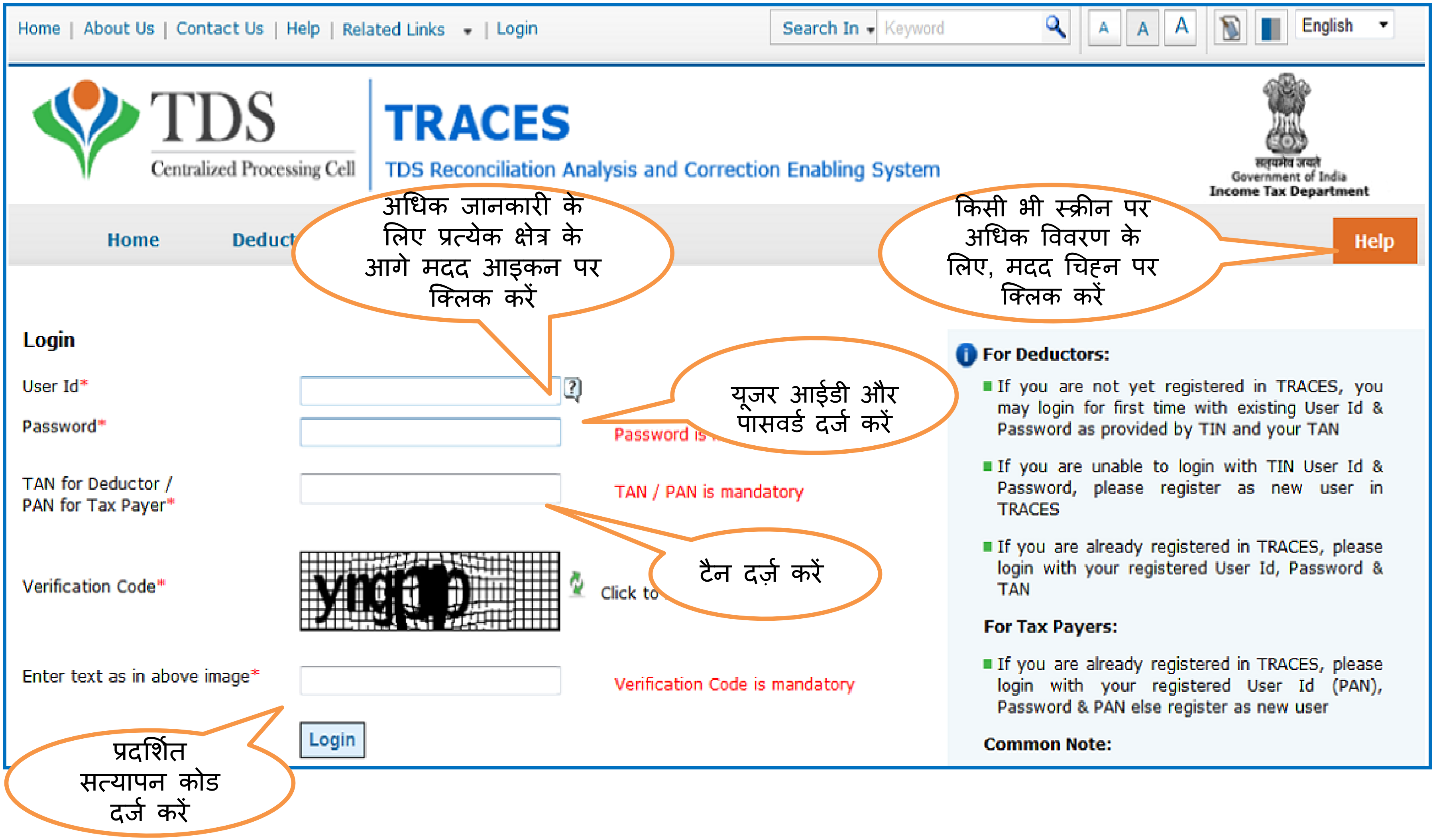

Copyright © 2012 Income Tax Department

प्रारंभिक पृष्ठ

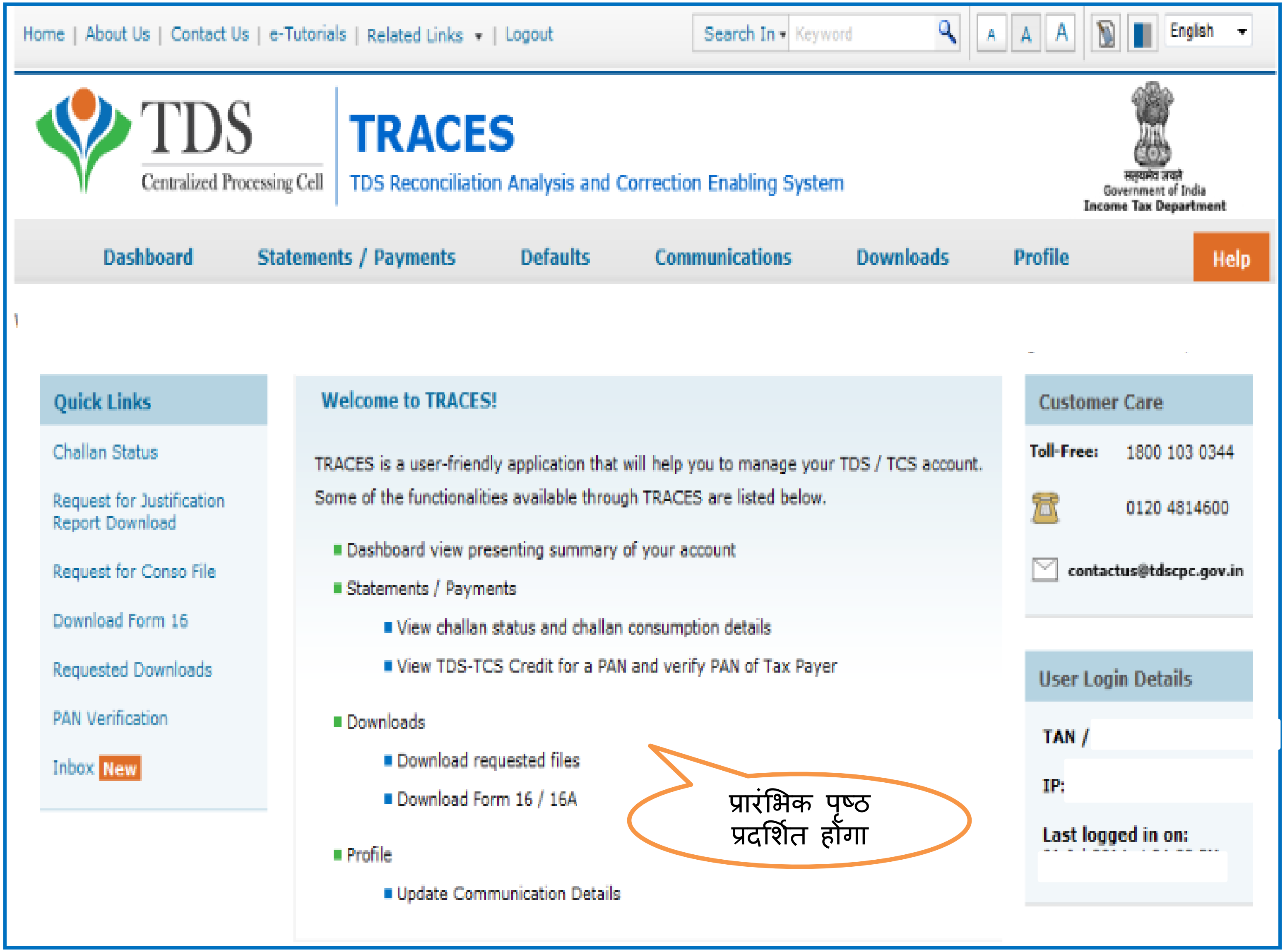
Home | About Us | Contact Us | e-Tutorials | Related Links | Logout
Search In
Keyword
English
TDS
Centralized Processing Cell
TRACES
TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System
सत्यमेव जयते
Government of India
Income Tax Department
Dashboard
Statements / Payments
Defaults
Communications
Downloads
Profile
Help
Quick Links
Challan Status
Request for Justification Report Download
Request for Conso File
Download Form 16
Requested Downloads
PAN Verification
Inbox New
Welcome to TRACES!
TRACES is a user-friendly application that will help you to manage your TDS / TCS account.
Some of the functionalities available through TRACES are listed below.
Dashboard view presenting summary of your account
Statements / Payments
View challan status and challan consumption details
View TDS-TCS Credit for a PAN and verify PAN of Tax Payer
Downloads
Download requested files
Download Form 16 / 16A
Profile
Update Communication Details
प्रारंभिक पृष्ठ प्रदर्शित होगा
Customer Care
Toll-Free: 1800 103 0344
0120 4814600
contactus@tdscpc.gov.in
User Login Details
TAN /
IP:
Last logged in on:

ऑनलाइन सुधार अनुरोध प्रवाह

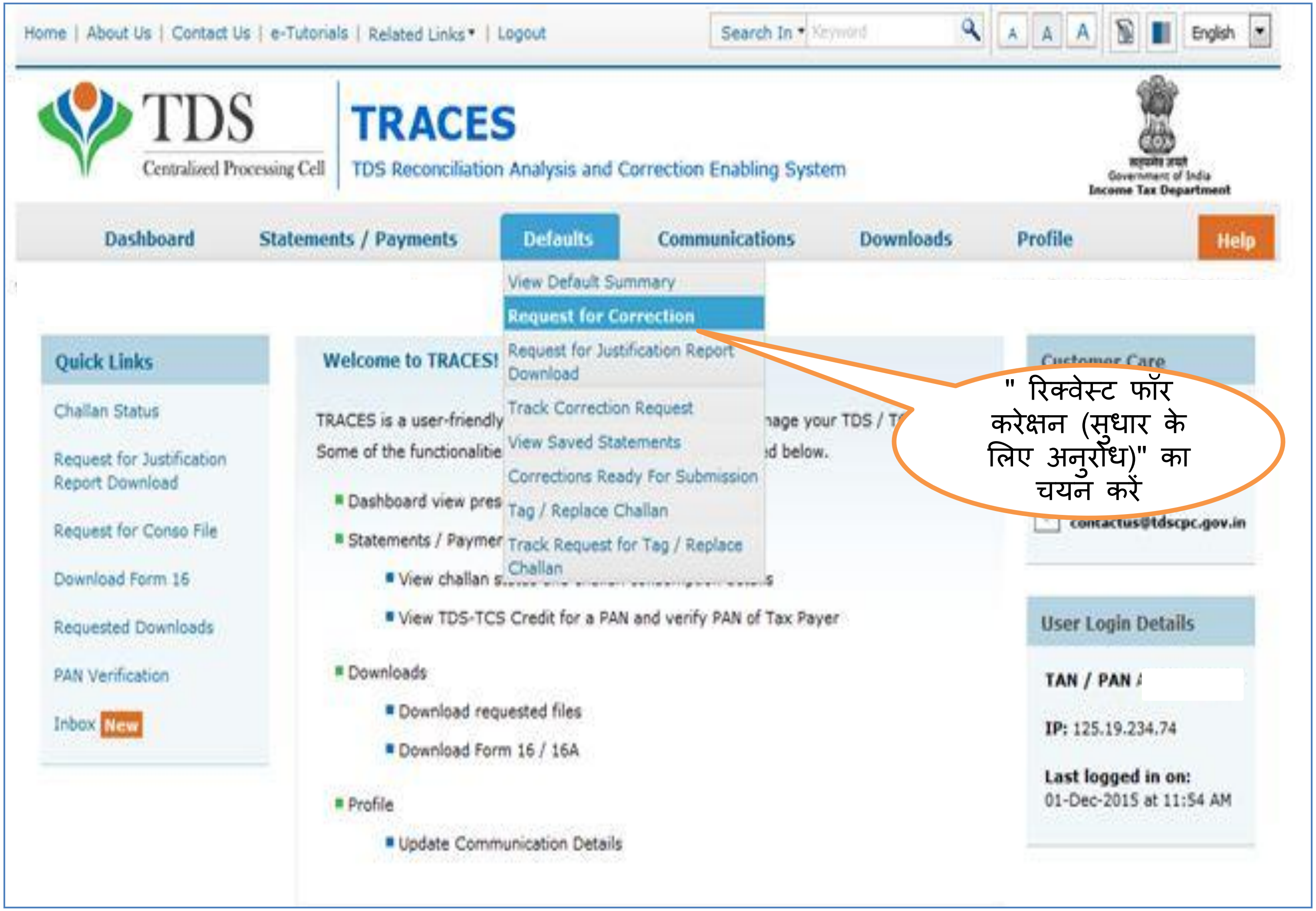

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार अनुरोध प्रवाह

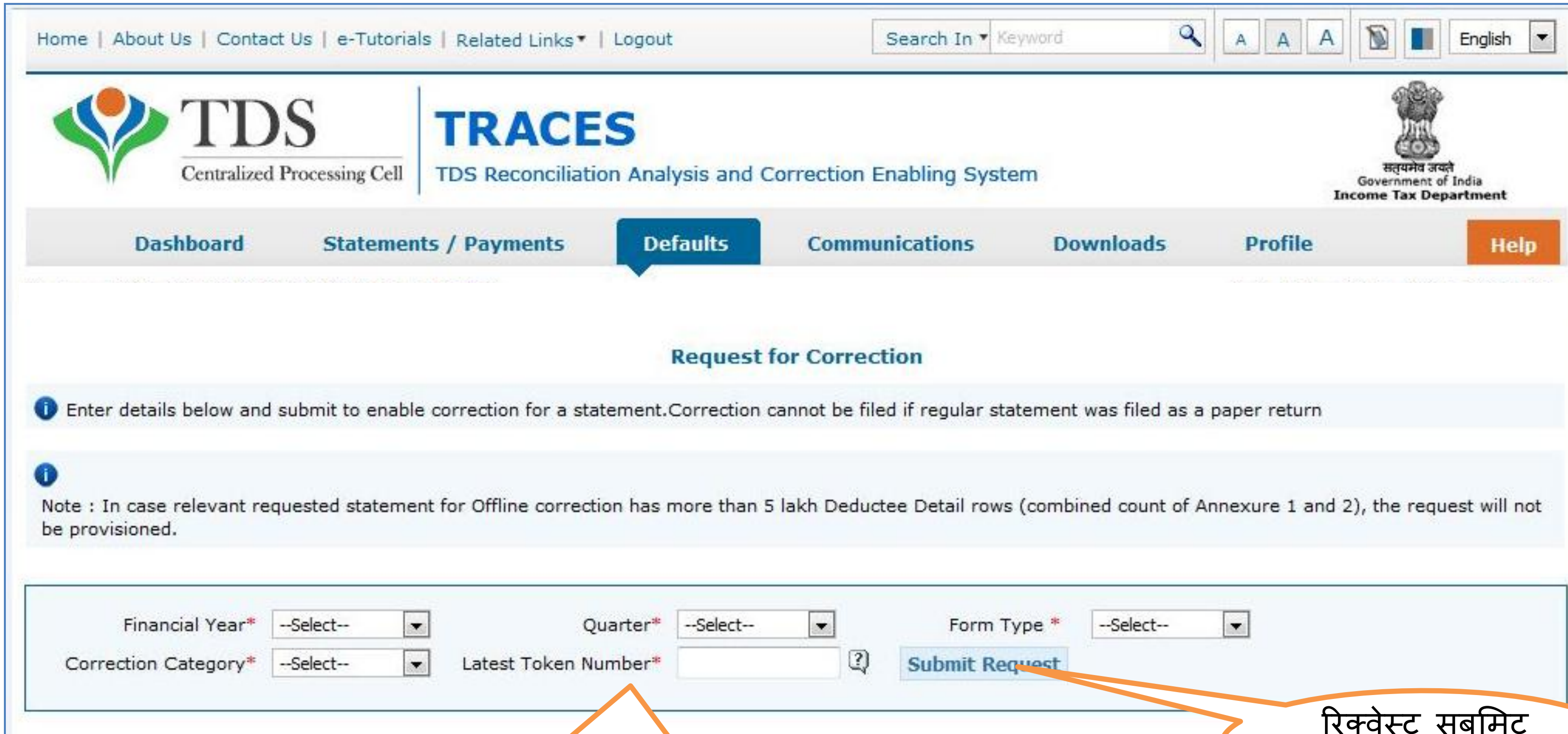

रिक्वेस्ट सबमिट पर क्लिक करें

वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार, सुधार श्रेणी का चयन करें , नवीनतम दर्ज टोकन नंबर (प्रसंस्कृत बयान के नवीनतम टोकन नंबर)

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार अनुरोध प्रवाह

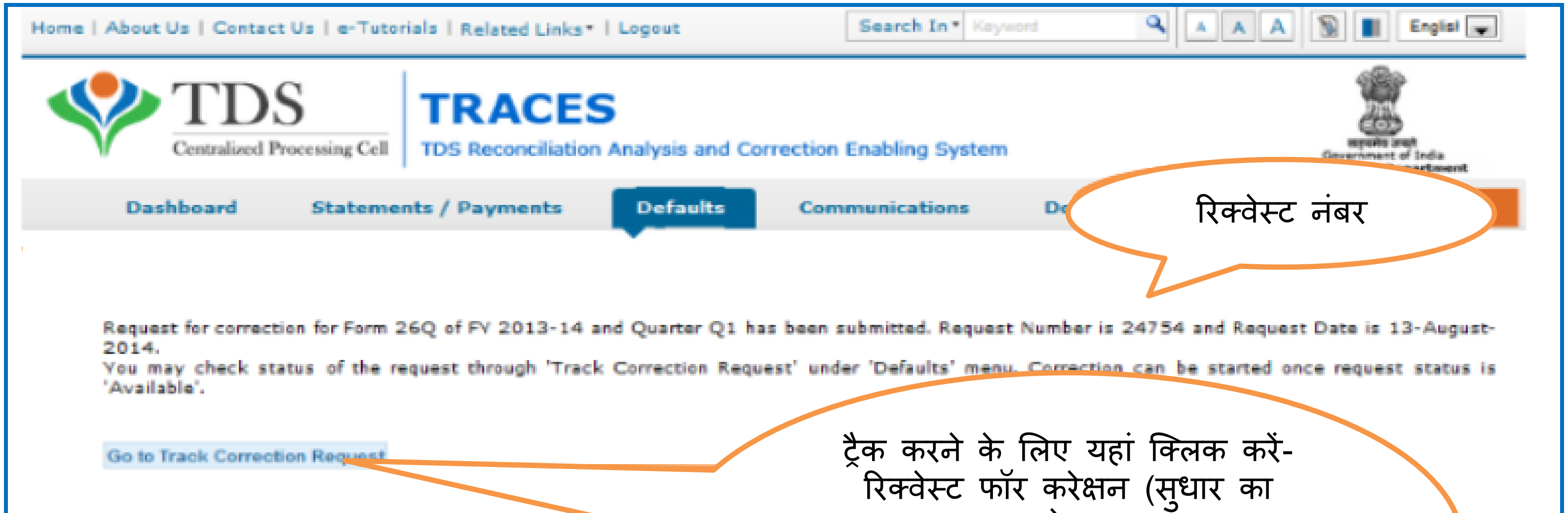

रिक्वेस्ट नंबर

ट्रैक करने के लिए यहां क्लिक करें- रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन (सुधार का अनुरोध) या
नेविगेट 'ट्रैक करेक्शन डिफॉल्ट (सुधार चूक)" के अंतर्गत ' रिक्वेस्ट (अनुरोध) मेन्यू

Copyright © 2012 Income Tax Department

ऑनलाइन सुधार अनुरोध प्रवाह - स्टेट्मेंट देखने के लिए अनुरोध

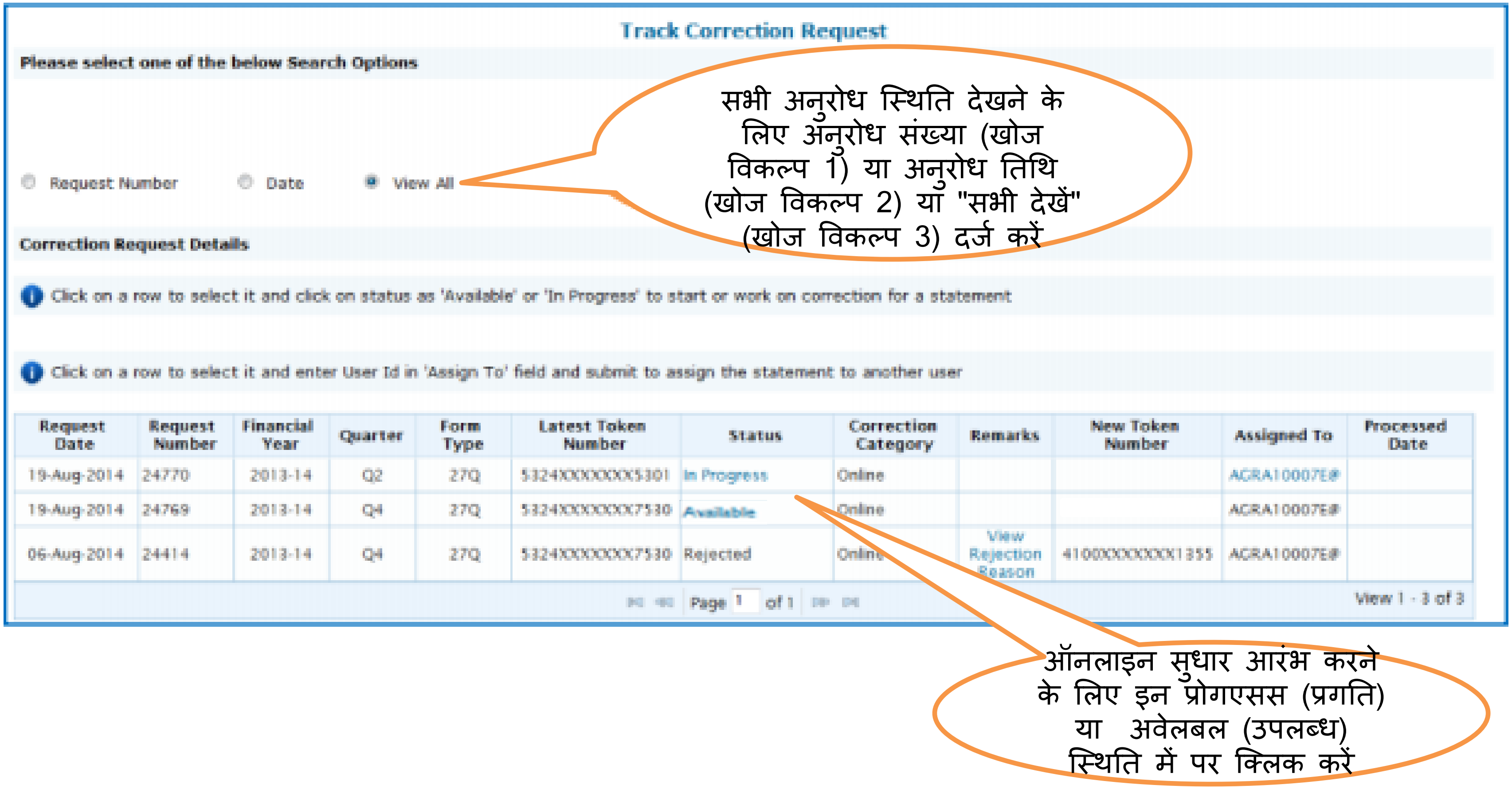

Track Correction Request

Please select one of the below Search Options

○ Request Number ○ Date ● View All

Correction Request Details

Click on a row to select it and click on status as 'Available' or 'In Progress' to start or work on correction for a statement

Click on a row to select it and enter User Id in 'Assign To' field and submit to assign the statement to another user

Request Date	Request Number	Financial Year	Quarter	Form Type	Latest Token Number	Status	Correction Category	Remarks	New Token Number	Assigned To	Processed Date
19-Aug-2014	24770	2013-14	Q2	27Q	5324XXXXXXXX5301	In Progress	Online			AGRA10007E#	
19-Aug-2014	24769	2013-14	Q4	27Q	5324XXXXXXXX7530	Available	Online			AGRA10007E#	
06-Aug-2014	24414	2013-14	Q4	27Q	5324XXXXXXXX7530	Rejected	Online	View Rejection Reason	4100XXXXXXXX1355	AGRA10007E#	

Page 1 of 1 View 1 - 3 of 3

अवेलबल (उपलब्ध)स्थिति - सुधार के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है और स्टेट्मेंट सुधार के लिए उपलब्ध है। उपयोगकर्ता **स्टेट्मेंट** पर सुधार शुरू कर सकते हैं।उपयोगकर्ता सत्यापन करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें ।उपयोगकर्ता जब 'अवेलबल (उपलब्ध)' पर क्लिक करता है तब स्टेट्मेंट के लिए अनुरोध स्थिति ' इन प्रोग्रेस (प्रगति) में बदल जाएगा ।

इन प्रोग्रेस - उपयोगकर्ता स्टेट्मेंट पर काम कर रहा है। उपयोगकर्ता सत्यापन करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें ।

Copyright © 2012 Income Tax Department

डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी सत्यापन के ज़ारी (स्टेप 1)

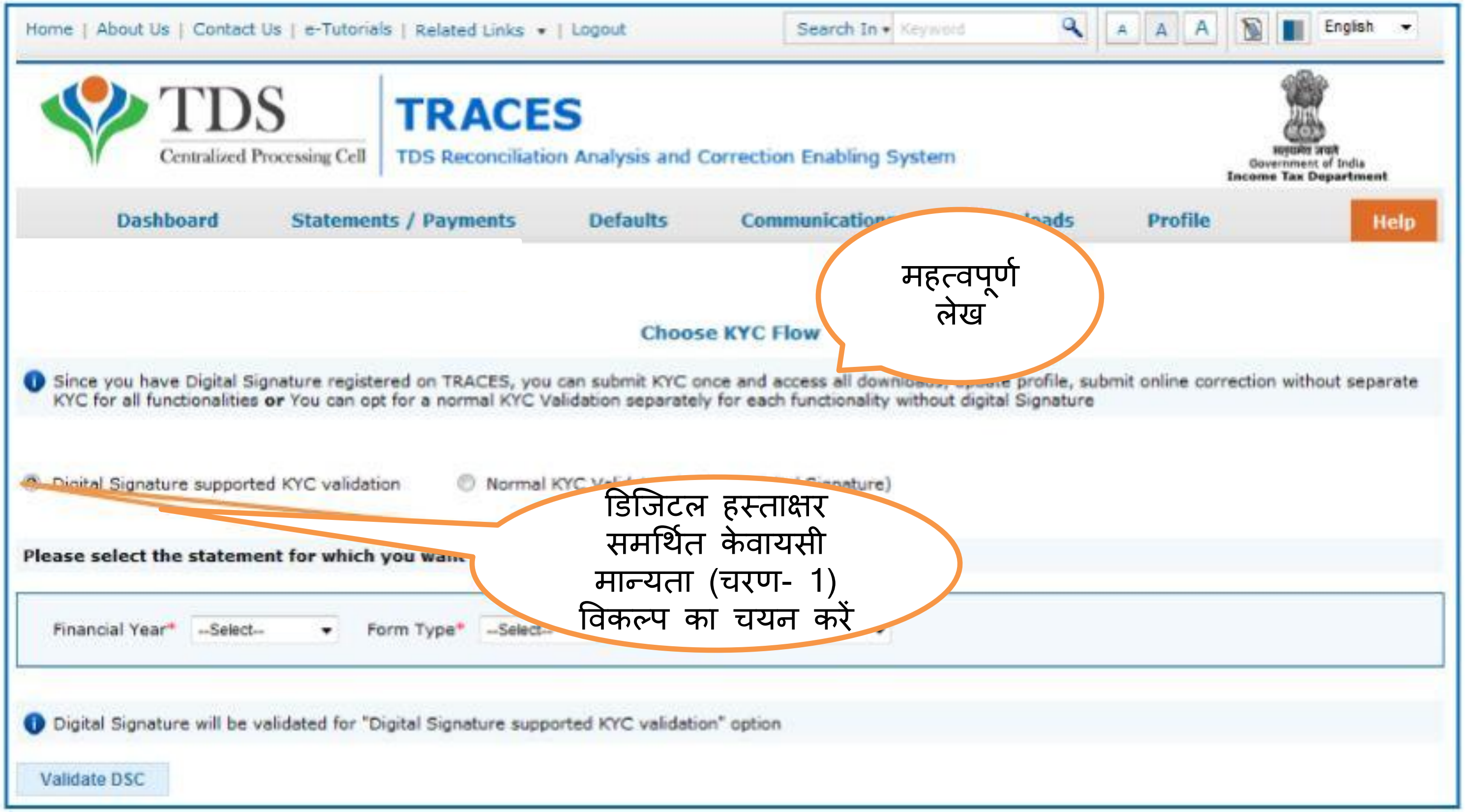

- डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत है तो ही,डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी सत्यापन स्क्रीन दिखाई देगी । कटौतीकर्ता प्रोफ़ाइल में अपने डिजिटल हस्ताक्षर को पंजीकृत / पुनः पंजीकृत कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पंजीकरण ट्यूटोरियल - देखें।
- सामान्य केवाईसी मान्यकरण (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना)- उपयोगकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के बिना प्रत्येक पद्धति के लिए अलग से एक सामान्य केवाईसी सत्यापन विकल्प चुन सकते हैं।

Copyright © 2012 Income Tax Department

डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी सत्यापन जारी (चरण 2 और 3)

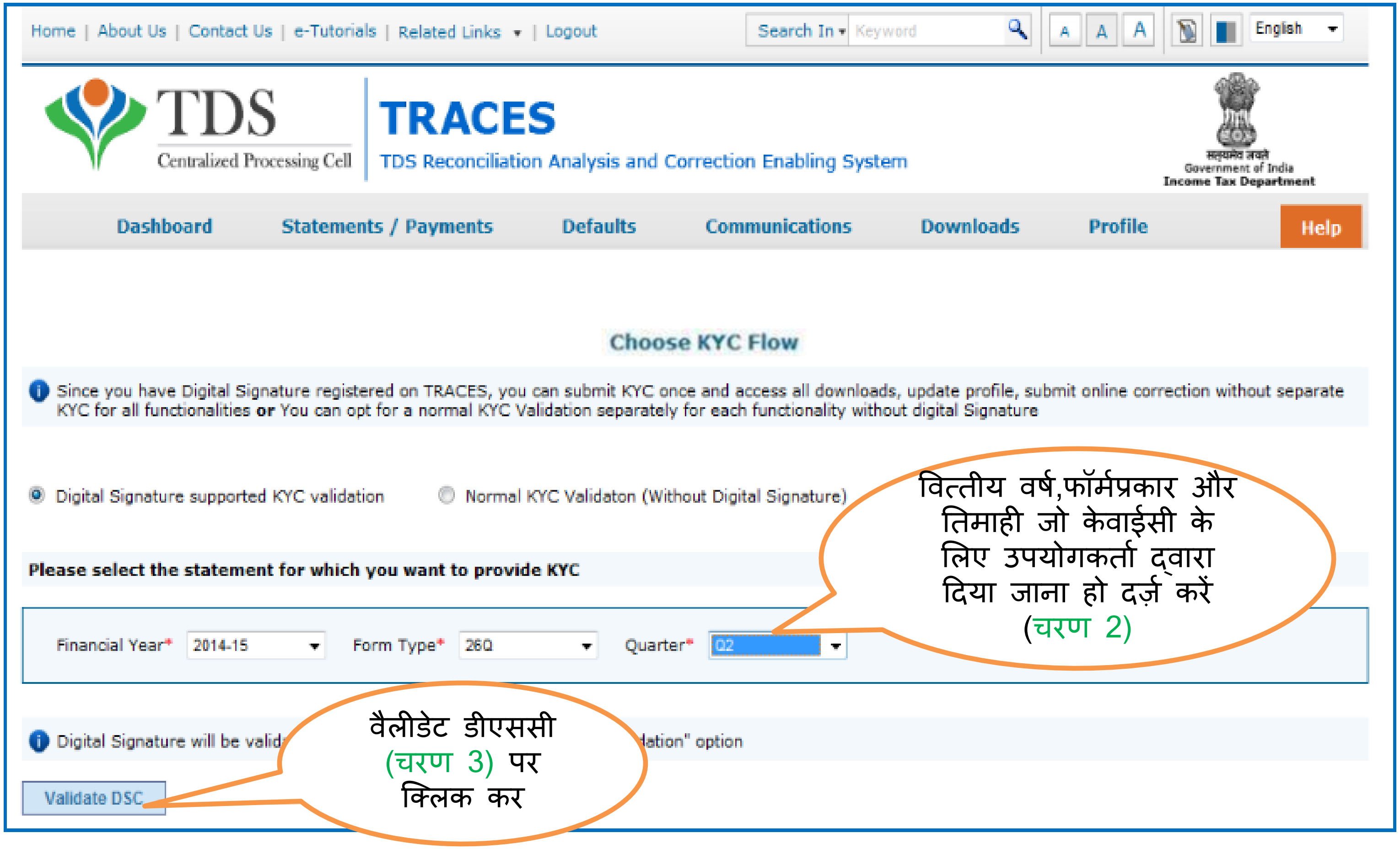

डीएससी को मान्य करने के बाद, एक बार केवाईसी पेज उपयोगकर्ता द्वारा चयनित किए गए,वित्तीय वर्ष ,तिमाही और फॉर्मप्रकार के संयोजन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा ।

डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित मान्य केवाईसी (चरण 4 और 5)

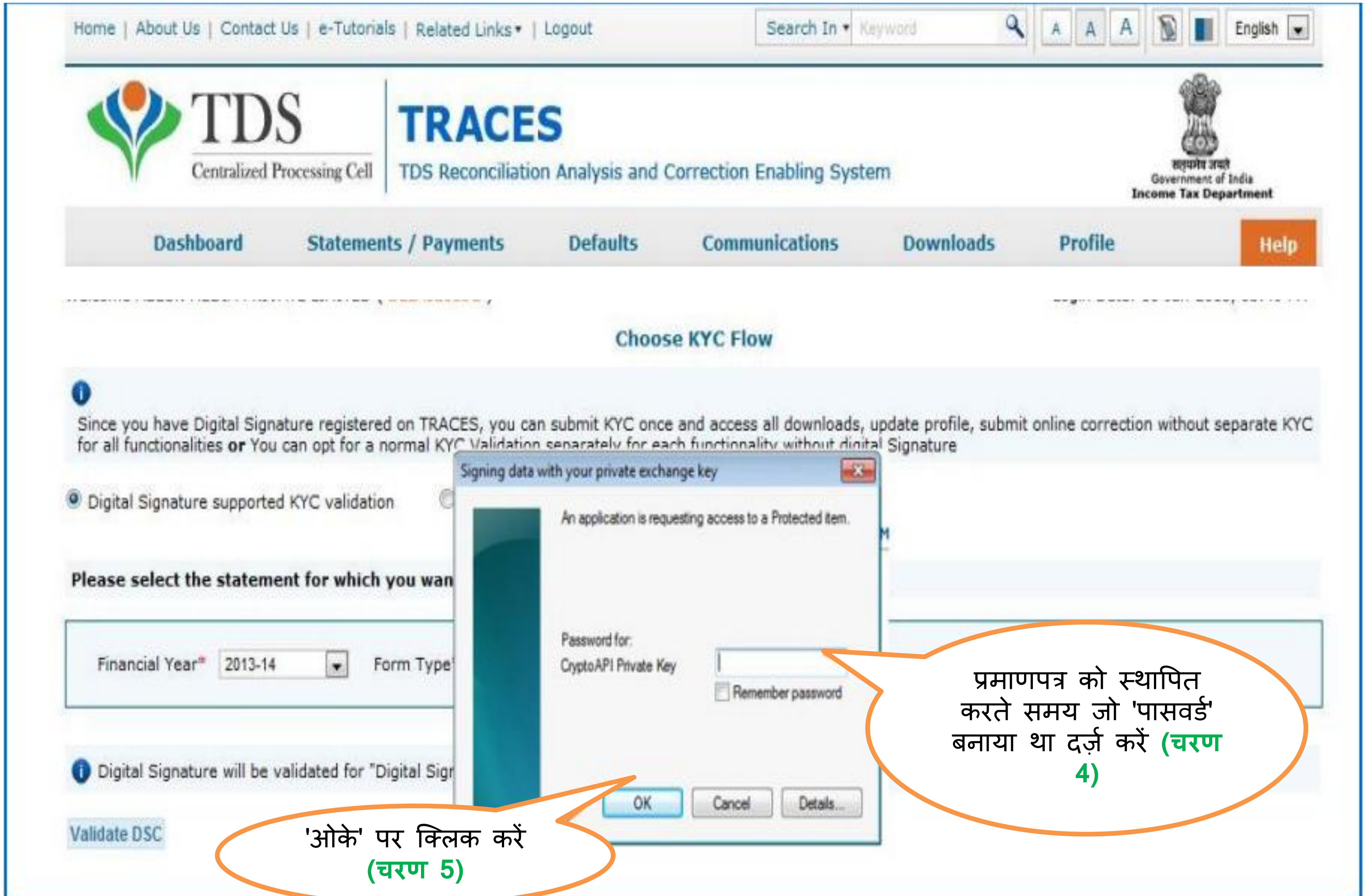

ध्यान दें - डीएससी / टोकन और एप्लेट विंडो ब्राउज़र में स्थापित करते समय यदि सुरक्षा का स्तर निम्न / मध्यम है तो 'आपकी निजी विनिमय कुंजी के साथ हस्ताक्षर डेटा'(जैसा कि अगली स्क्रीन में दिखाया गया है)प्रदर्शित नहीं होगा ।

Copyright © 2012 Income Tax Department

डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी सत्यापन (चरण 6 और 7)

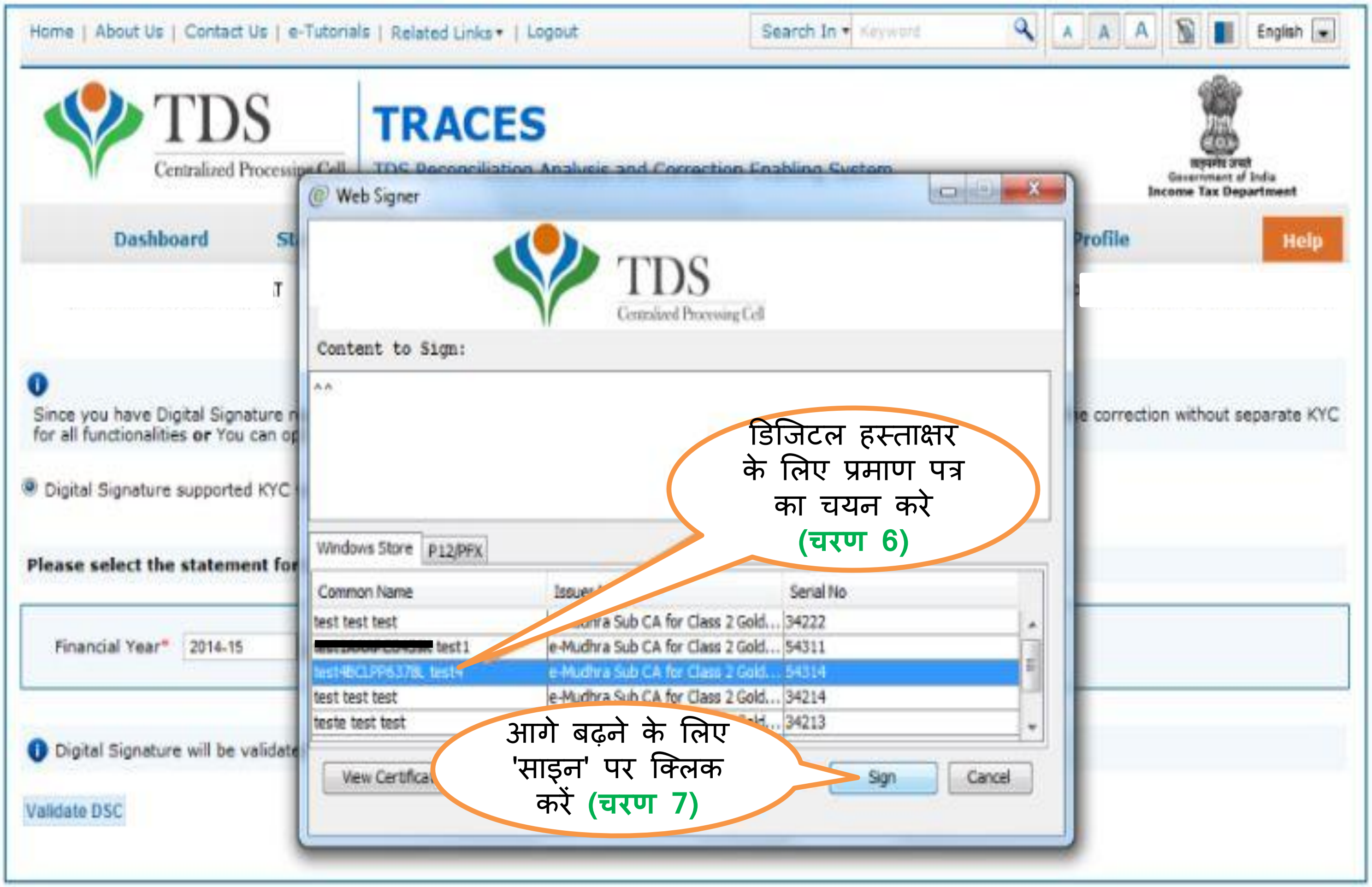

Copyright © 2012 Income Tax Department

डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी मान्यकरण (चरण 8)-चरण 2 में चयनित वित्तीय वर्ष,क्वार्टर,फॉर्मप्रकार प्रदर्शित होंगे

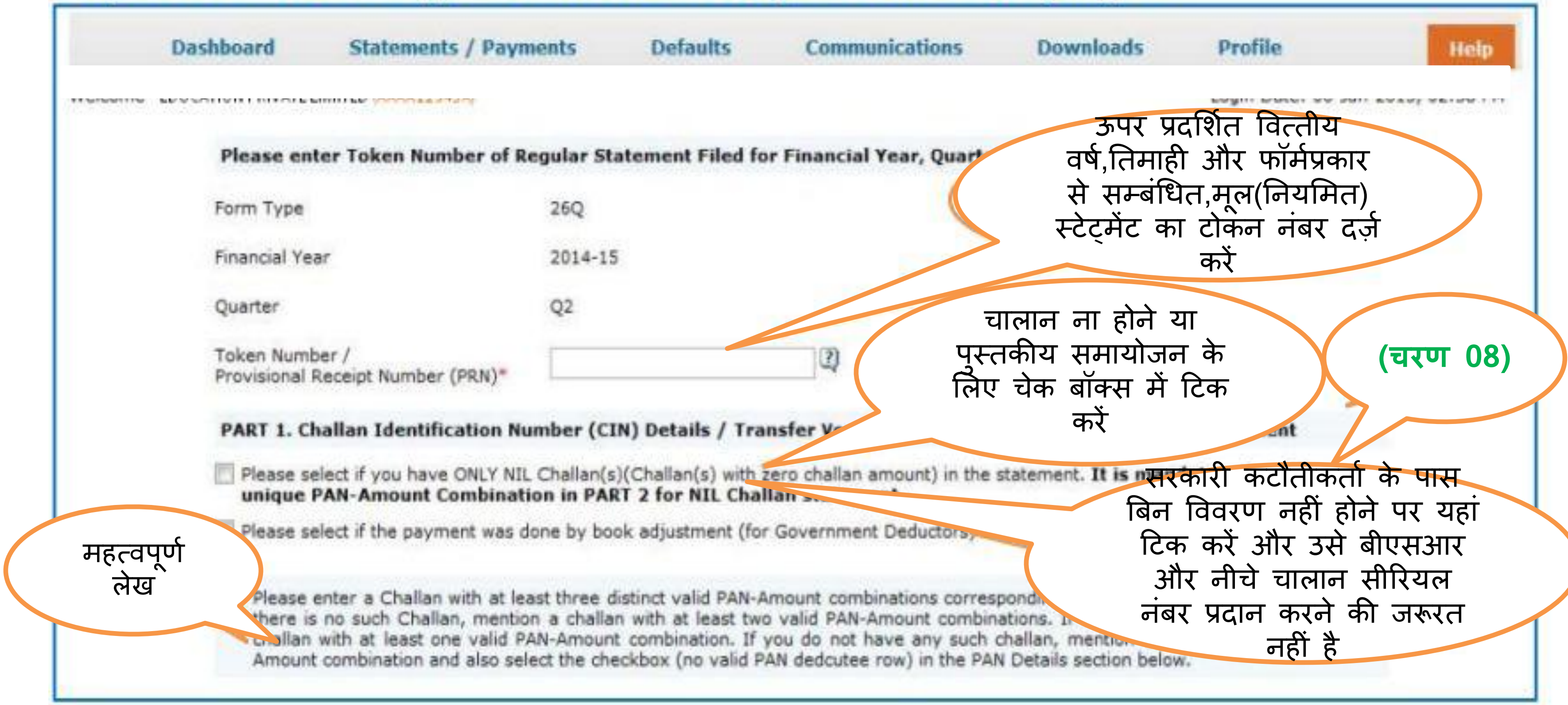

•डीएससी समर्थित केवाईसी में स्क्रीन पर सत्यापन कोड दिखाई नहीं देगा ।

•एक सत्र में नियमित केवाईसी (उपयोगकर्ता द्वारा चयनित दर्ज़ किये विवरण के आधार पर) केवल एक बार प्रदर्शित किया जाएगा ।

Copyright © 2012 Income Tax Department

टोकन नंबर का विवरण (जारी रखें)

PART 1. Challan Identification Number (CIN) Details / Transfer Voucher Details as quoted in the ab…

☐ Please select if you have ONLY NIL Challan(s)(Challan(s) with zero challan amou… the statement. **It is mandatory to enter unique PAN-Amount Combination in PART 2 for NIL Challan statement.**

☐ Please select if the payment was done by book adjustment (for Government Deductors)

Please enter a Challan with at least three distinct valid PAN-Amount com… mentioned above. If there is no such Challan, mention a challan with at least two va… is no such challan, mention a challan with at least one valid PAN-Amount combination… mention a challan with no valid PAN-Amount combination and also select the checkbox (n… PAN Details section below.

Guide to identify a suitable challan

BSR Code / Receipt Number*

Date on which Tax Deposited* (dd-mmm-yyyy: e.g., 12-Dec-1980)

Challan Serial Number / DDO* Serial Number (5 digits: e.g., 00053)

Challan Amount / Transfer Voucher* Amount (Rs.)(e.g., 1987.00)

CD Record Number

PART 2. Enter Unique PAN-Amount Combination for Challan / Tr…

☐ Please select if there are no valid PAN deductees … mentioned above

Please enter three distinct PAN-Amount combinations correspon… mentioned above. If there are less than three PANs corresponding to the specified challan, mention all ava… Amount combinations.

Guide to identify the Unique PAN-Amount Combinations

PAN as in Statement

Total Amount Deposited (Rs.)

Proceed

चालान ना होने या पुस्तकीय समायोजन पर चैक बॉक्स में क्लिक करें

सरकारी कटौतीकर्ता के पास बिन विवरण नहीं होने पर यहां टिक करें और उसे बीएसआर और नीचे चालान सीरियल नंबर प्रदान करने की जरूरत नहीं है

उपयुक्त चालान विकल्प का चयन करने के लिए गाइड पर क्लिक करें

टी डी एस विवरण में प्रयोग किये गए किसी एक चालान का सीआईएन विवरण दर्ज करें

सीडी रिकार्ड संख्या अनिवार्य नहीं है।जब एक ही चालान का उल्लेख टीडीएस विवरण में एक से अधिक बार किया गया है तब ही इसका प्रयोग करें

यदि ऊपर के चालान विवरण के संगत कोई भी वैध पैन नहीं है तो यहां टिक करें

उपयुक्त पैन राशि संयोजन का चयन करने के लिए गाइड पर क्लिक करें

जिसके लिए भुगतान कर दिया गया है,वही पैन दर्ज होना चाहिए

Copyright © 2012 Income Tax Department

मान्यकरण स्क्रीन के लिए लेख:

- सत्यापन कोड केवाईसी विवरण के प्रमाणीकरण के बाद आएगा,जो एक ही फॉर्मप्रकार, वित्तीय वर्ष और तिमाही के लिए एक ही कैलेंडर दिन के लिए मान्य रहता है ।
- टोकन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष,तिमाही और फॉर्मप्रकार के **नियमित टीडीएस स्टेट्मेंट** का होना चाहिए ।
- सीआईएन/बिन विवरण ऊपर उल्लेख किये गए वित्तीय वर्ष , तिमाही और फॉर्मप्रकार के टी डी एस **स्टेट्मेंट** के चालान/पुस्तकीय समायोजन(book entry)का दर्ज़ करें ।
- सरकारी कटौतीकर्ता केवल पुस्तकीय समायोजन की दिनांक और संगत विवरण में उलेखित हस्तांतरित वाउचर राशि दर्ज़ कर सकते हैं ।
- राशि दशमलव के दो स्थानों में दर्ज की जानी चाहिए (उदाहरण के लिए-1234.56) ।
- टीडीएस / टीसीएस स्टेट्मेंट के भाग 1 में बताये सीआईएन (CIN) / बिन (BIN) विवरण के आधार पर केवल वैध पैन ही केवाईसी के लिए भाग 2 में दर्ज होने चाहिए। वैध संयोजन के लिए स्क्रीन पर उपलब्ध गाइड को देखा जा सकता है।
- अधिकतम 3 अलग वैध पैन संगत राशि (पैन पर कटे केवल टीडीएस राशि) के साथ दर्ज़ होने चाहिए ।
- यदि चालान में ऐसे संयोजन तीन या तीन से कम हैं तो उपयोगकर्ता को सभी दर्ज करने होंगे(या तो दो या दो से एक) ।
- सीडी रिकार्ड संख्या तभी आवश्यक है जब टीडीएस स्टेट्मेंट में किसी चालान का उल्लेख एक से अधिक बार हुआ है ।

Copyright © 2012 Income Tax Department

सत्यापन कोड स्क्रीन

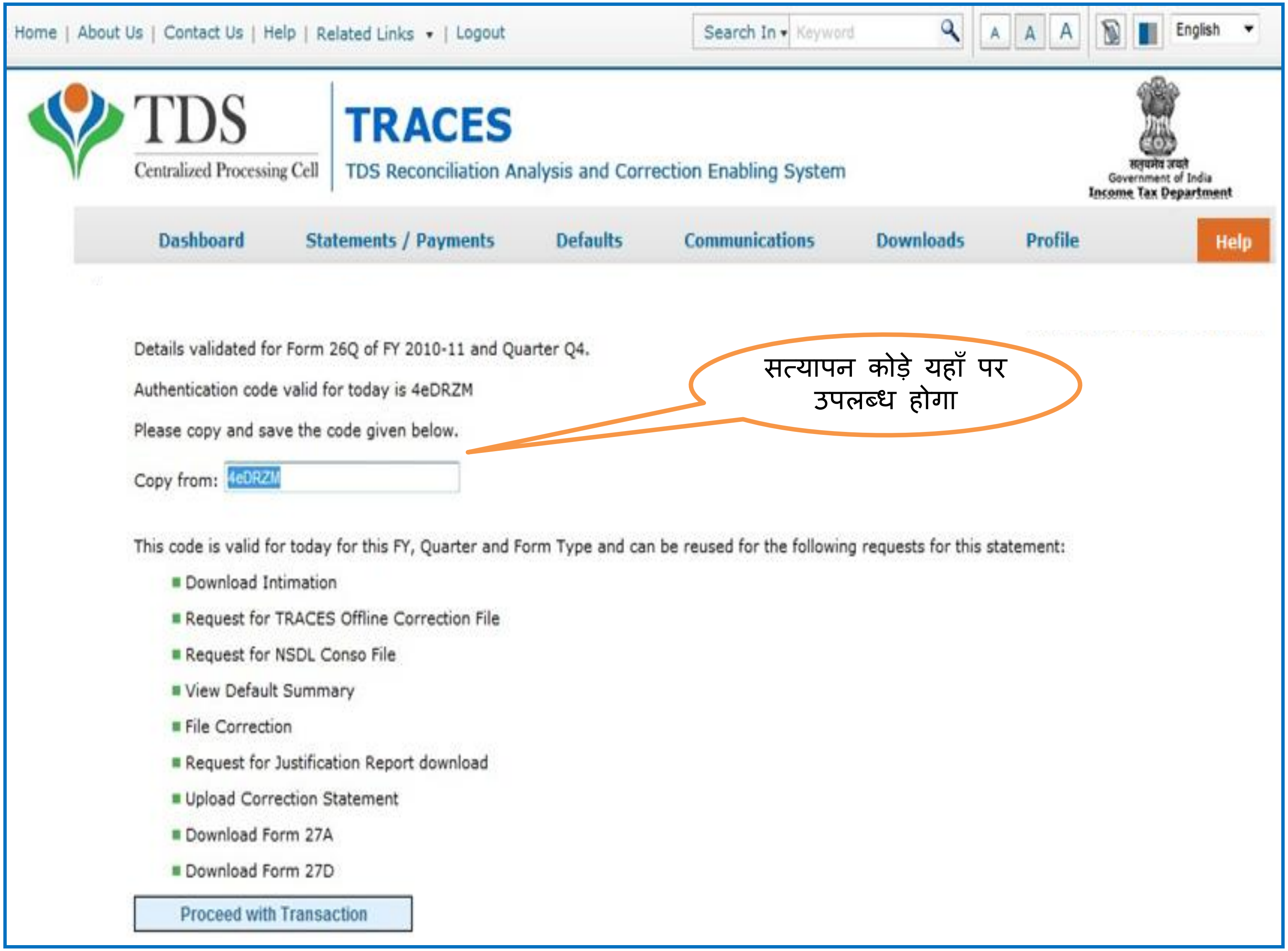

Copyright © 2012 Income Tax Department

पैन सुधार

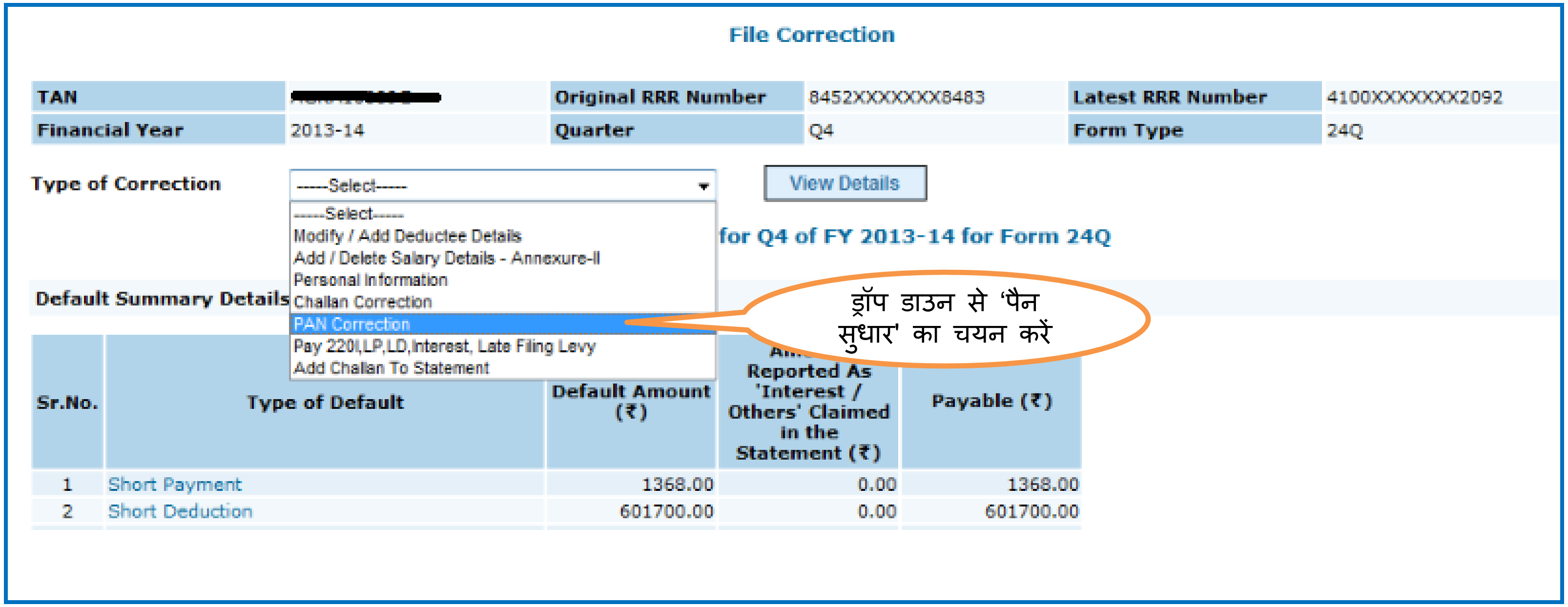

File Correction

TAN	[redacted]	Original RRR Number	8452XXXXXXXX8483	Latest RRR Number	4100XXXXXXXX2092
Financial Year	2013-14	Quarter	Q4	Form Type	24Q

Type of Correction: -----Select----- | View Details

- -----Select-----
- Modify / Add Deductee Details
- Add / Delete Salary Details - Annexure-II
- Personal Information
- Challan Correction
- PAN Correction
- Pay 220I,LP,LD,Interest, Late Filing Levy
- Add Challan To Statement

for Q4 of FY 2013-14 for Form 24Q

Default Summary Details

Sr.No.	Type of Default	Default Amount (₹)	Am... Reported As 'Interest / Others' Claimed in the Statement (₹)	Payable (₹)
1	Short Payment	1368.00	0.00	1368.00
2	Short Deduction	601700.00	0.00	601700.00

पैन सुधार – अवैध पैन अनुबंध 1

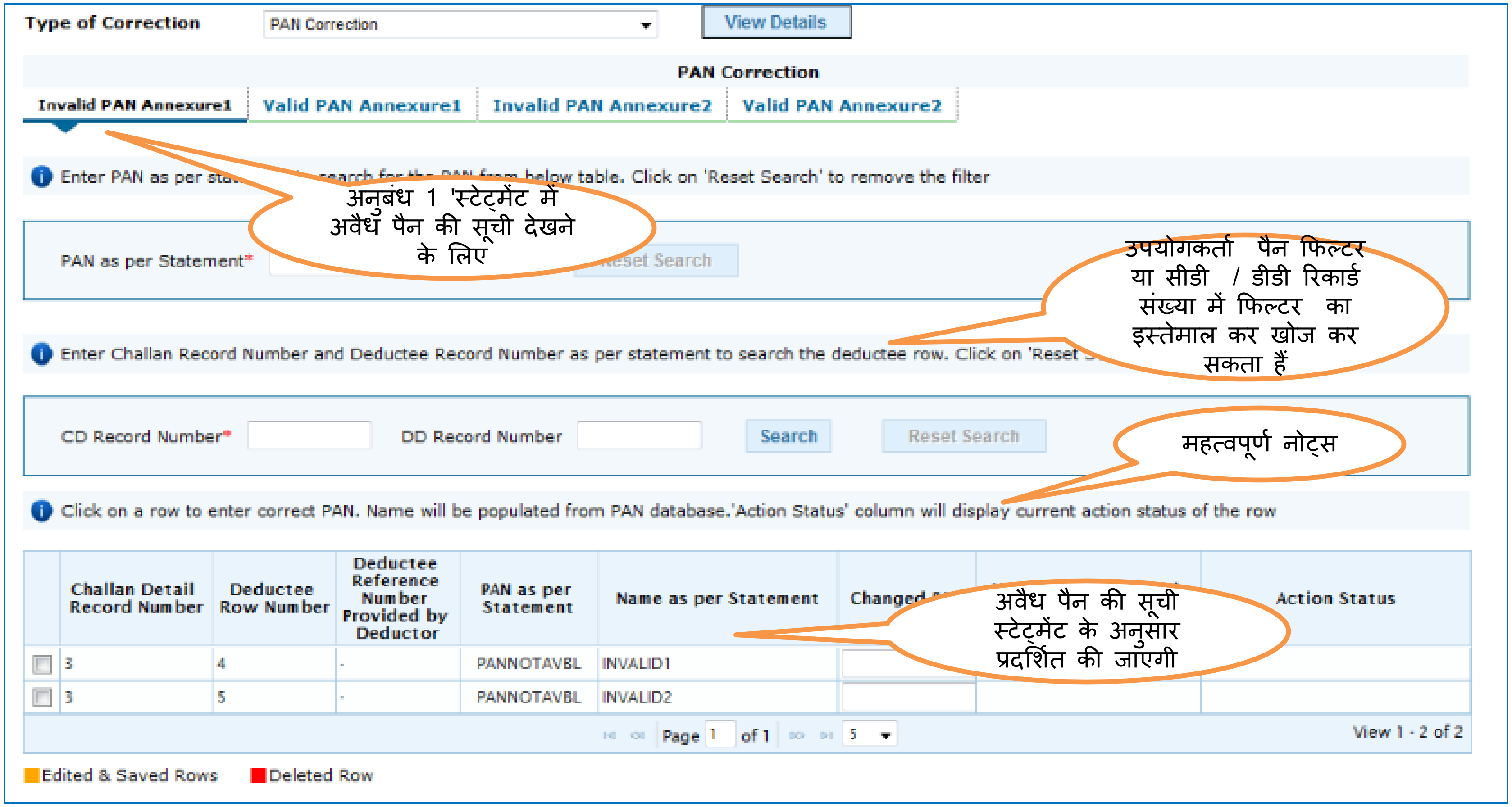

<u>ऊपर स्क्रीन में इस्तेमाल संक्षिप्त का पूरा नाम:</u>

सी डी: चालान विस्तार

डी डी: करदाता (डीडक्टी) विस्तार

पैन सुधार – अवैध पैन अनुबंध 1

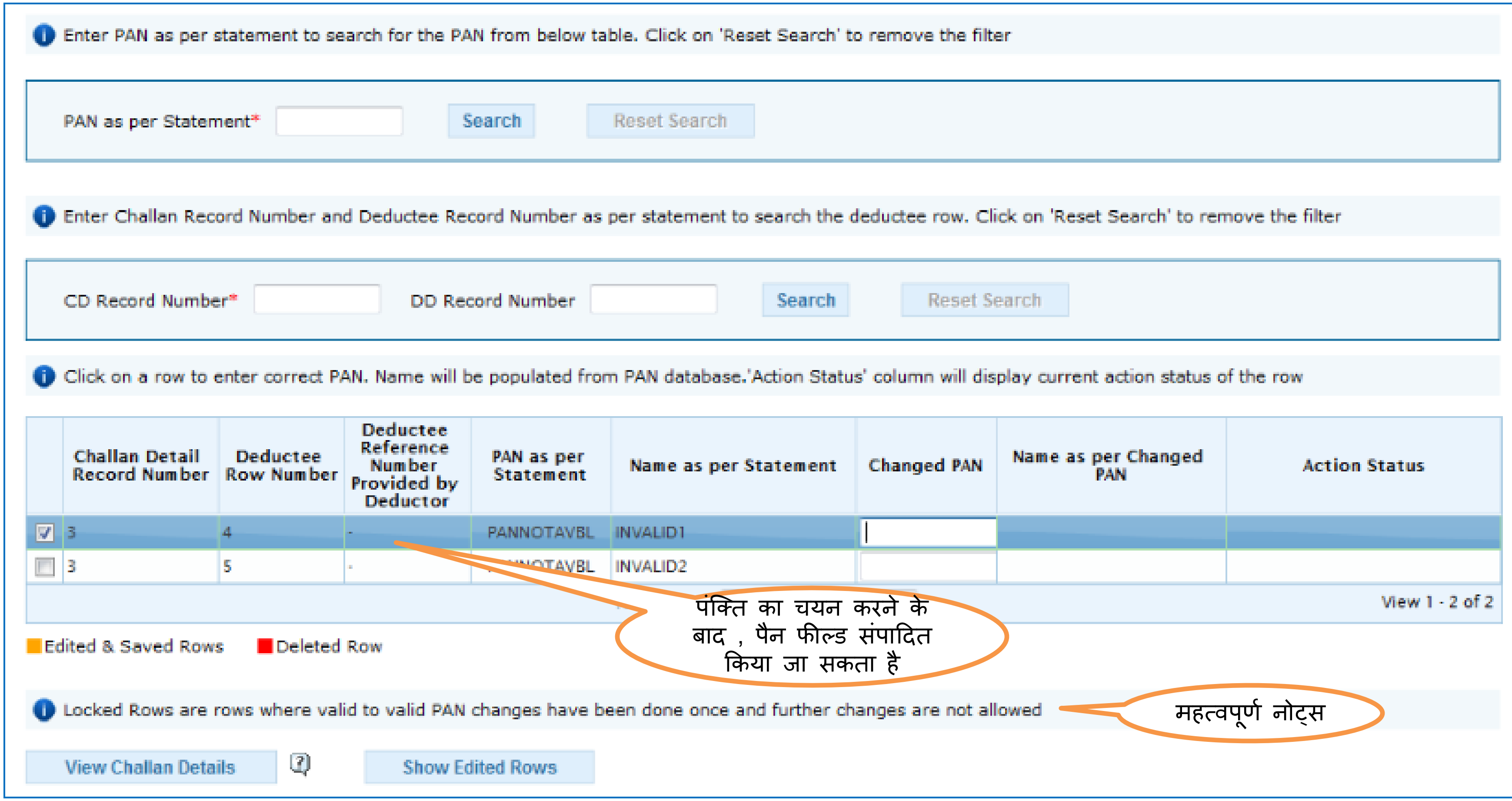

Enter PAN as per statement to search for the PAN from below table. Click on 'Reset Search' to remove the filter

PAN as per Statement* [ ] Search Reset Search

Enter Challan Record Number and Deductee Record Number as per statement to search the deductee row. Click on 'Reset Search' to remove the filter

CD Record Number* [ ] DD Record Number [ ] Search Reset Search

Click on a row to enter correct PAN. Name will be populated from PAN database.'Action Status' column will display current action status of the row

	Challan Detail Record Number	Deductee Row Number	Deductee Reference Number Provided by Deductor	PAN as per Statement	Name as per Statement	Changed PAN	Name as per Changed PAN	Action Status
☑	3	4	-	PANNOTAVBL	INVALID1			
☐	3	5	-	PANNOTAVBL	INVALID2			

View 1 - 2 of 2

Edited & Saved Rows   Deleted Row

Locked Rows are rows where valid to valid PAN changes have been done once and further changes are not allowed

View Challan Details   Show Edited Rows

•वैध पैन सुधार के लिए मान्य पैन केवल एक बार किया जा सकता है।
•अवैध पैन वैध पैन से ही बदला जा सकता है।

पैन सुधार – अवैध पैन अनुबंध 1

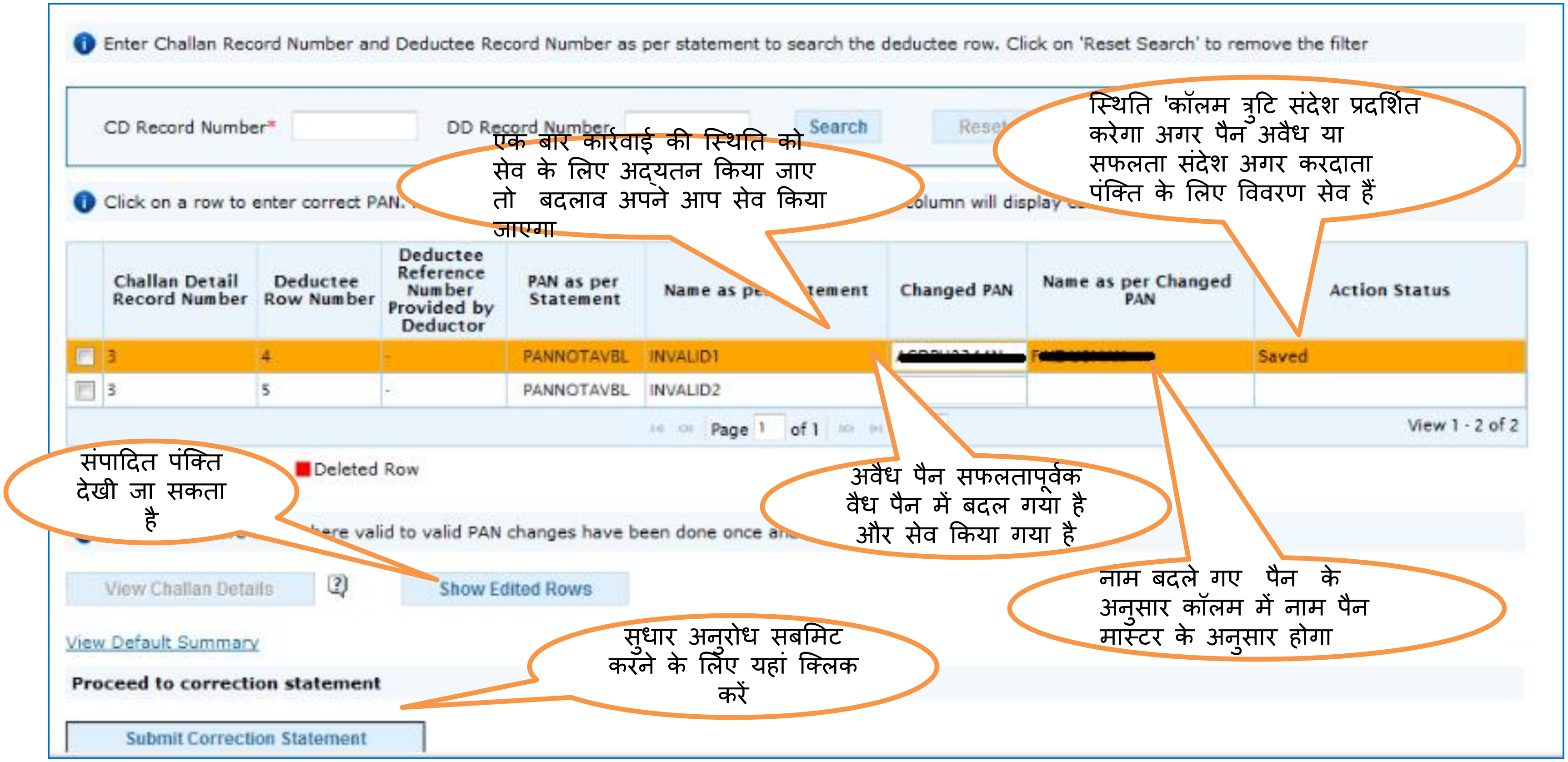

•उपयोगकर्ता डाले गए पैन को 'पैन बदले' फील्ड में से डेलीट कर संपादित वॅल्यू रीसेट कर सकते हैं। नए नाम के वॅल्यू को भी हटाया जा सकता है ।

पैन सुधार – वैध पैन अनुबंध 1

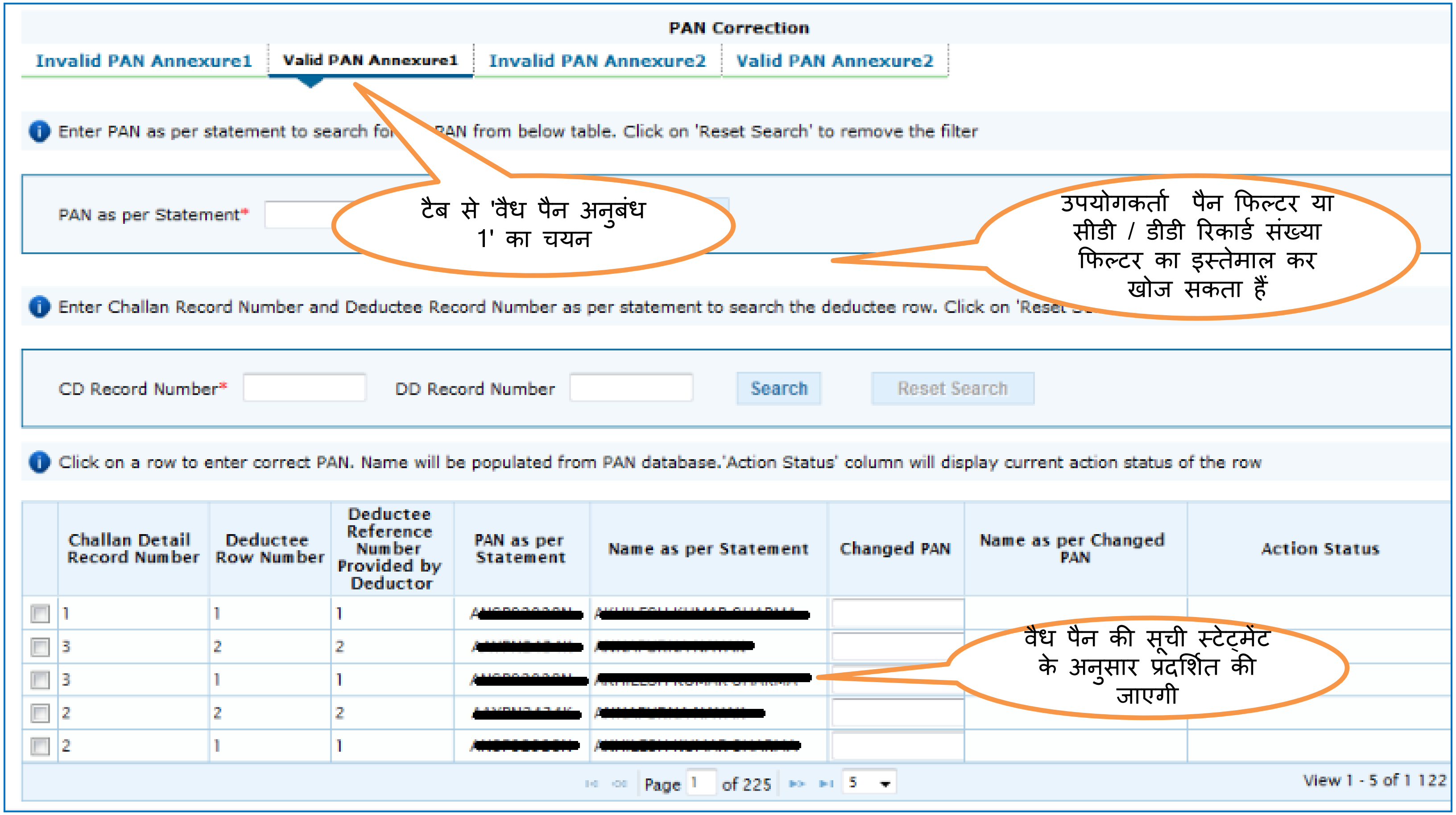

• वैध पैन के लिए, करदाता पंक्तियों वैध से वैध पैन सुधार के लिए करने पर लॉक कर दी जाएगी।

पैन सुधार – वैध पैन अनुबंध 1

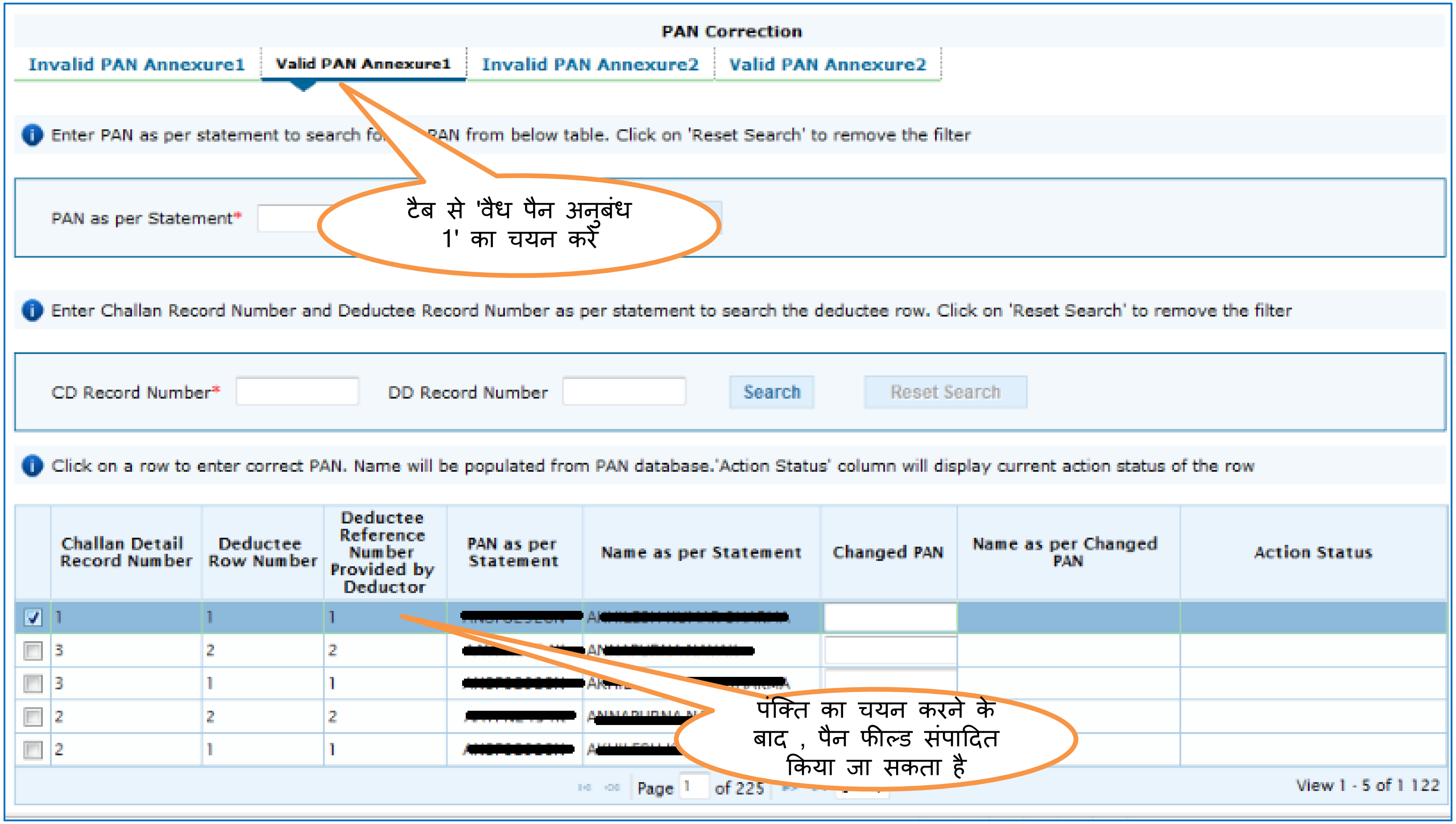

पैन सुधार – वैध पैन अनुबंध 1

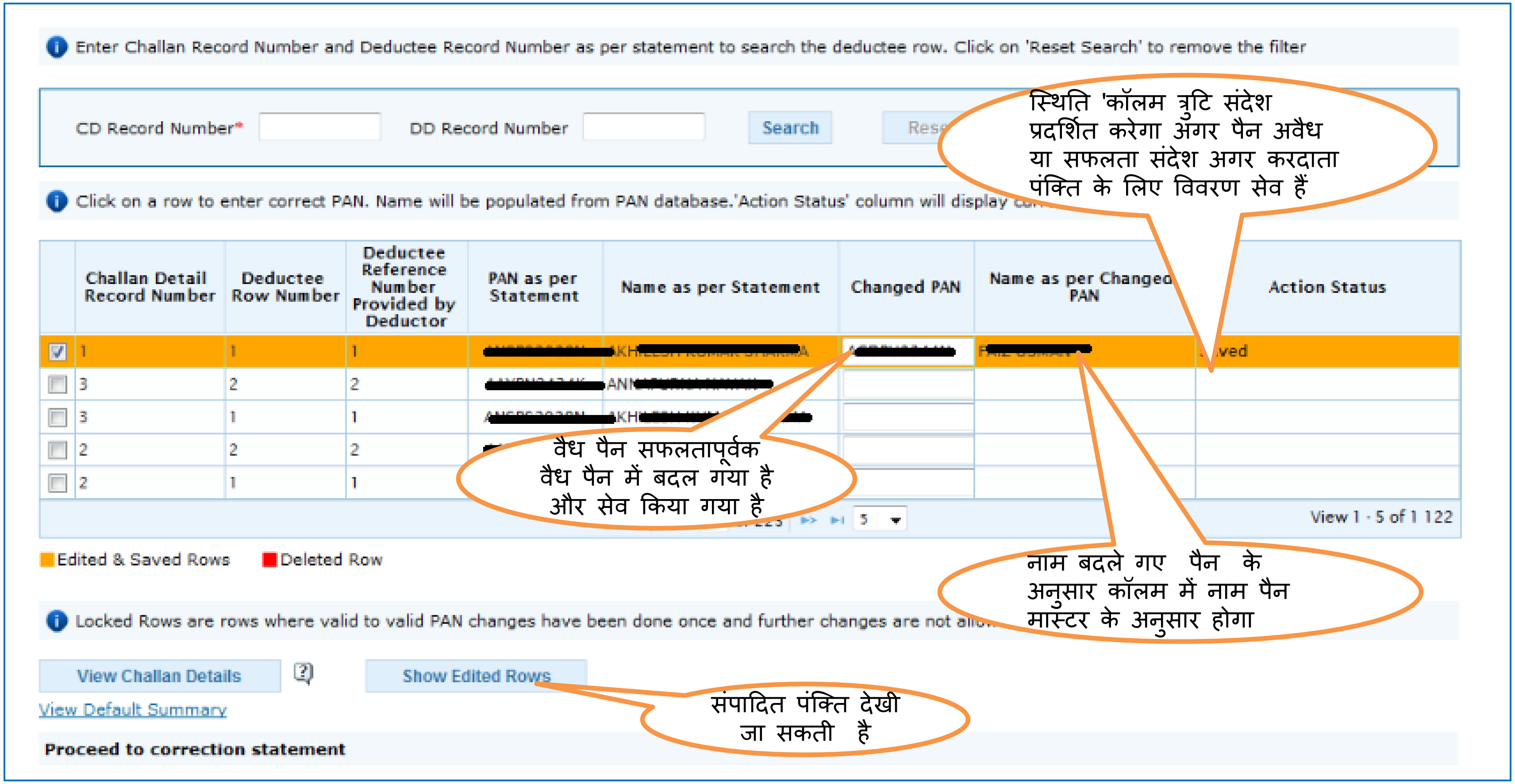

•उपयोगकर्ता डाले गए पैन को 'पैन बदले' फील्ड में से डेलीट कर संपादित वॅल्यू रीसेट कर सकते हैं। नए नाम के वॅल्यू को भी हटाया जा सकता है ।

पैन सुधार - अवैध पैन अनुबंध 2

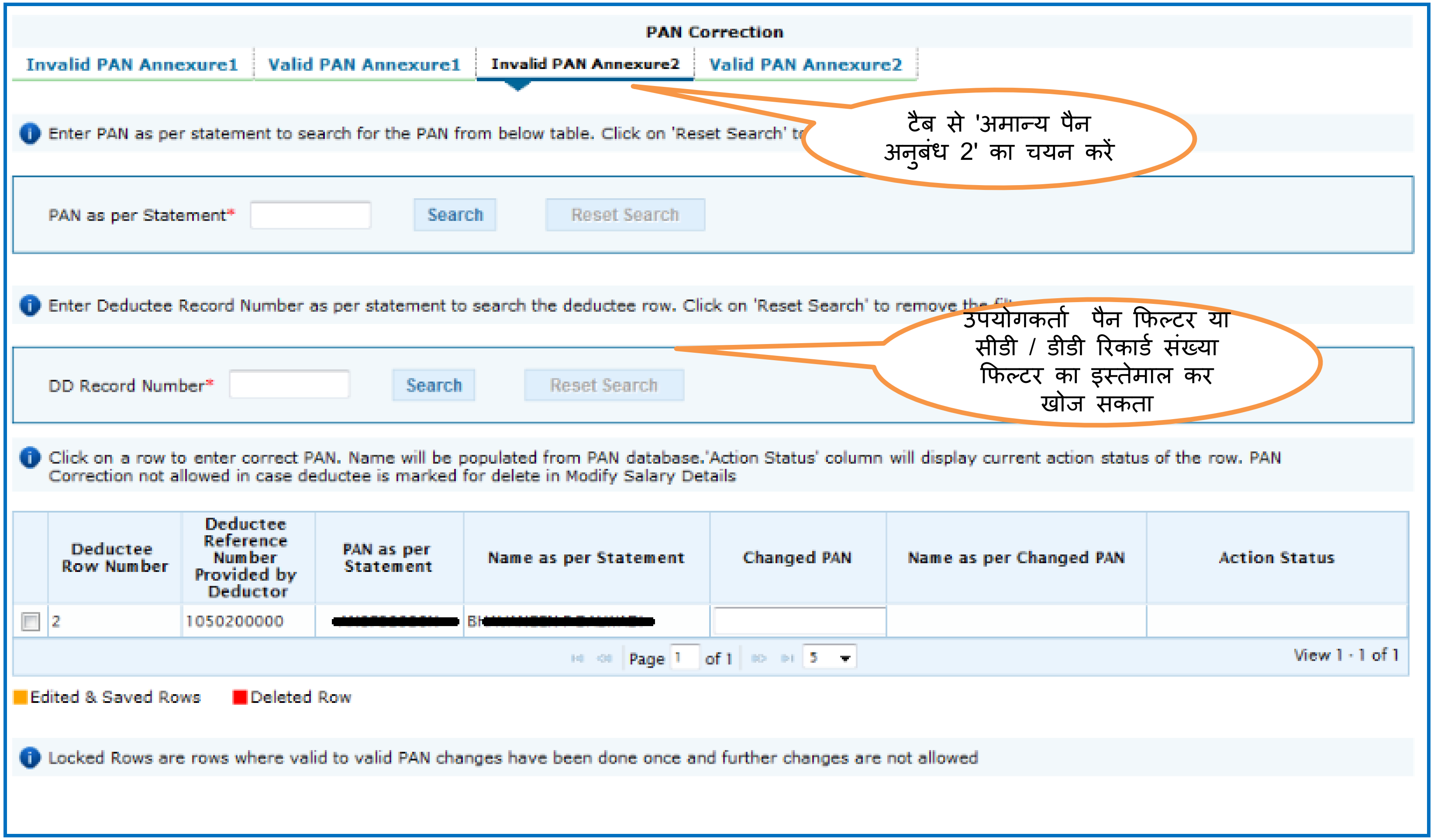

अनुबंध- 2 के लिए , केवल रिकार्ड संख्या की आवश्यकता होती है

पैन सुधार - अवैध पैन अनुबंध 2

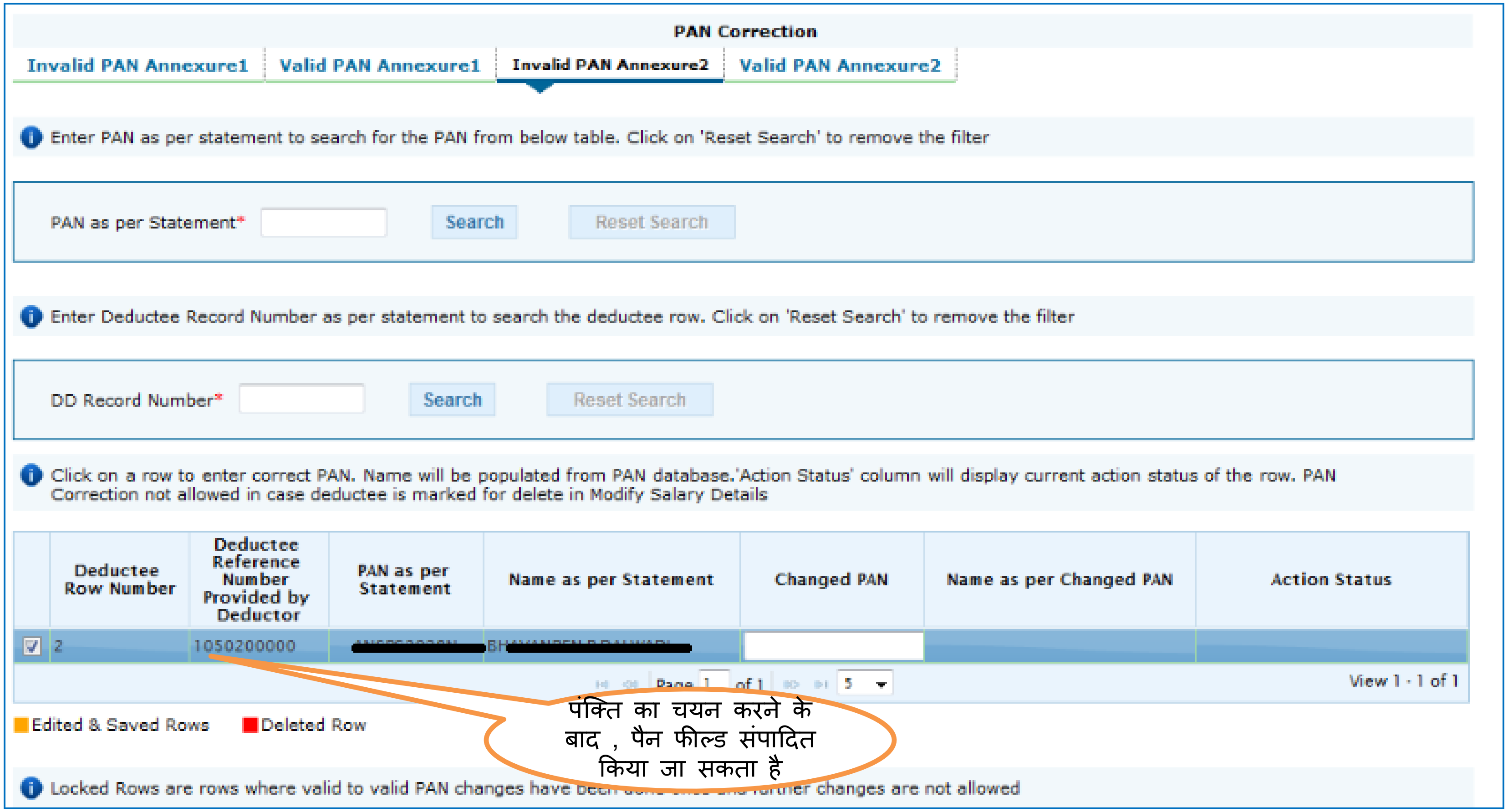

पैन सुधार - अवैध पैन अनुबंध 2

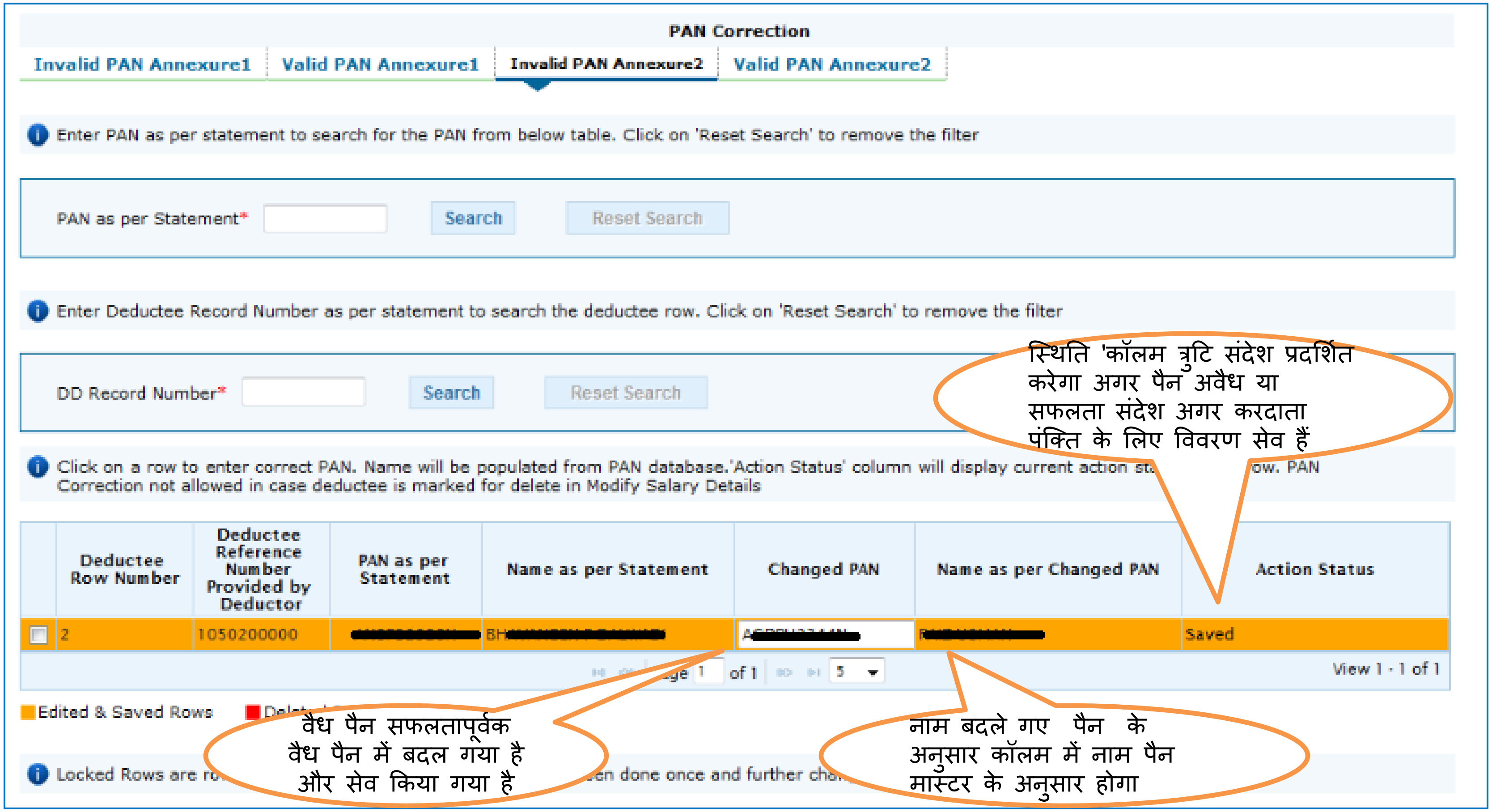

• उपयोगकर्ता डाले गए पैन को 'पैन बदले' फील्ड में से डेलीट कर संपादित वॅल्यू रीसेट कर सकते हैं। नए नाम के वॅल्यू को भी हटाया जा सकता है ।

• वैध पैन के लिए, करदाता पंक्तियों वैध से वैध पैन सुधार के लिए करने पर लॉक कर दी जाएगी । उपयोगकर्ता इस पंक्ति के लिए पैन को संपादित नहीं कर सकते हैं।

पैन सुधार - वैध पैन अनुबंध 2

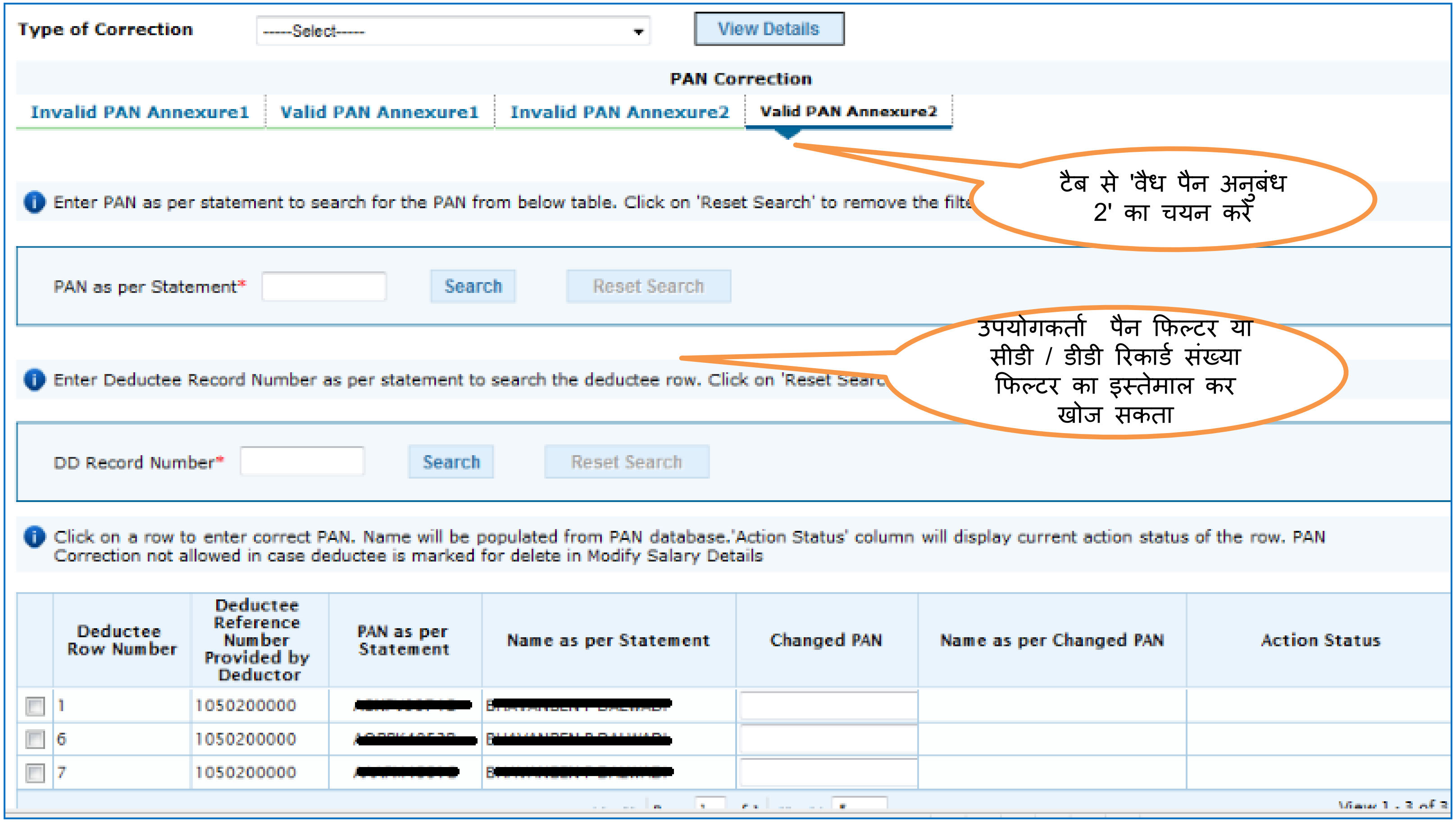

•अनुबंध 2 के मामले में, केवल डीडी रिकार्ड संख्या में खोज के लिए सीडी / डीडी रिकॉर्ड फ़िल्टर आवश्यक है।

पैन सुधार - वैध पैन अनुबंध 2

Enter Deductee Record Number as per statement to search the deductee row. Click on 'Reset Search' to remove the filter

DD Record Number* [ ] Search Reset Search

Click on a row to enter correct PAN. Name will be populated from PAN database.'Action Status' column will display current action status of the row. PAN Correction not allowed in case deductee is marked for delete in Modify Salary Details

	Deductee Row Number	Deductee Reference Number Provided by Deductor	PAN as per Statement	Name as per Statement	Changed PAN	Name as per Changed PAN	Action Status
☑	1	1050200000	[redacted]	BH[redacted]			
☐	6	1050200000	[redacted]	B[redacted]			
☐	7	1050200000	A[redacted]	[redacted]			

View 1 - 3 of 3

Edited & Saved Rows Deleted Row

पंक्ति का चयन करने के बाद , पैन फील्ड संपादित किया जा सकता है

Locked Rows are rows where valid to valid PAN changes have been done once and further changes are not allowed

Show Edited Rows

संपादित पंक्ति देखी जा सकती है

View Default Summary

Proceed to correction statement

सुधार अनुरोध सबमिट करने के लिए यहां क्लिक करें

Submit Correction Statement

पैन सुधार - वैध पैन अनुबंध 2

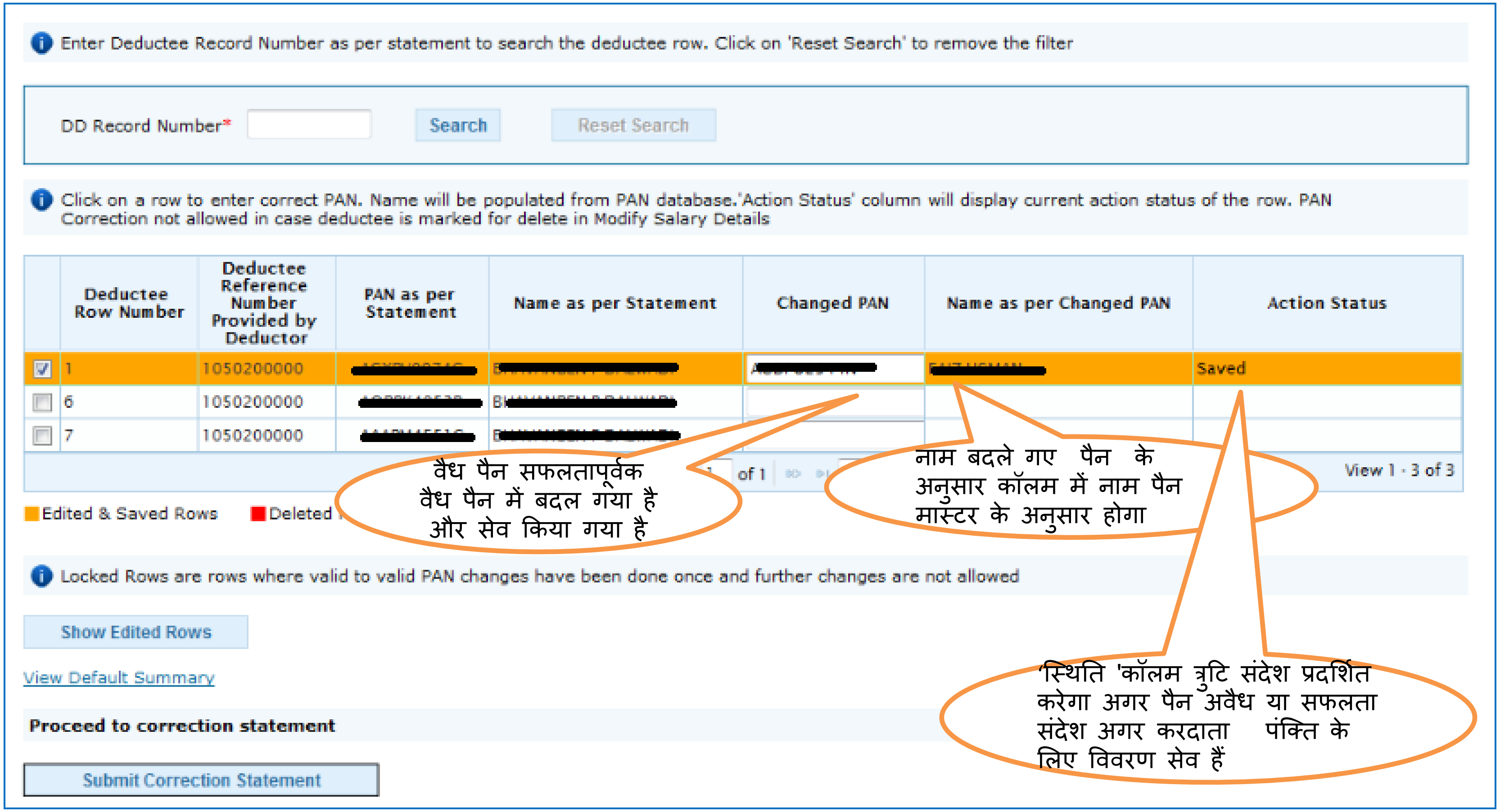

- User can reset edited values by deleting PAN entered in ‘Changed PAN’ field. Value of new name will also be removed.

सत्यमेव जयते
Government of India
Income Tax Department

TDS Centralized Processing Cell

TRACES
TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System

क्रियान्वयन सारांश

Copyright © 2012 Income Tax Department

क्रियान्वयन सारांश - व्यवस्थापक उपयोगकर्ता को सब्मिट करें

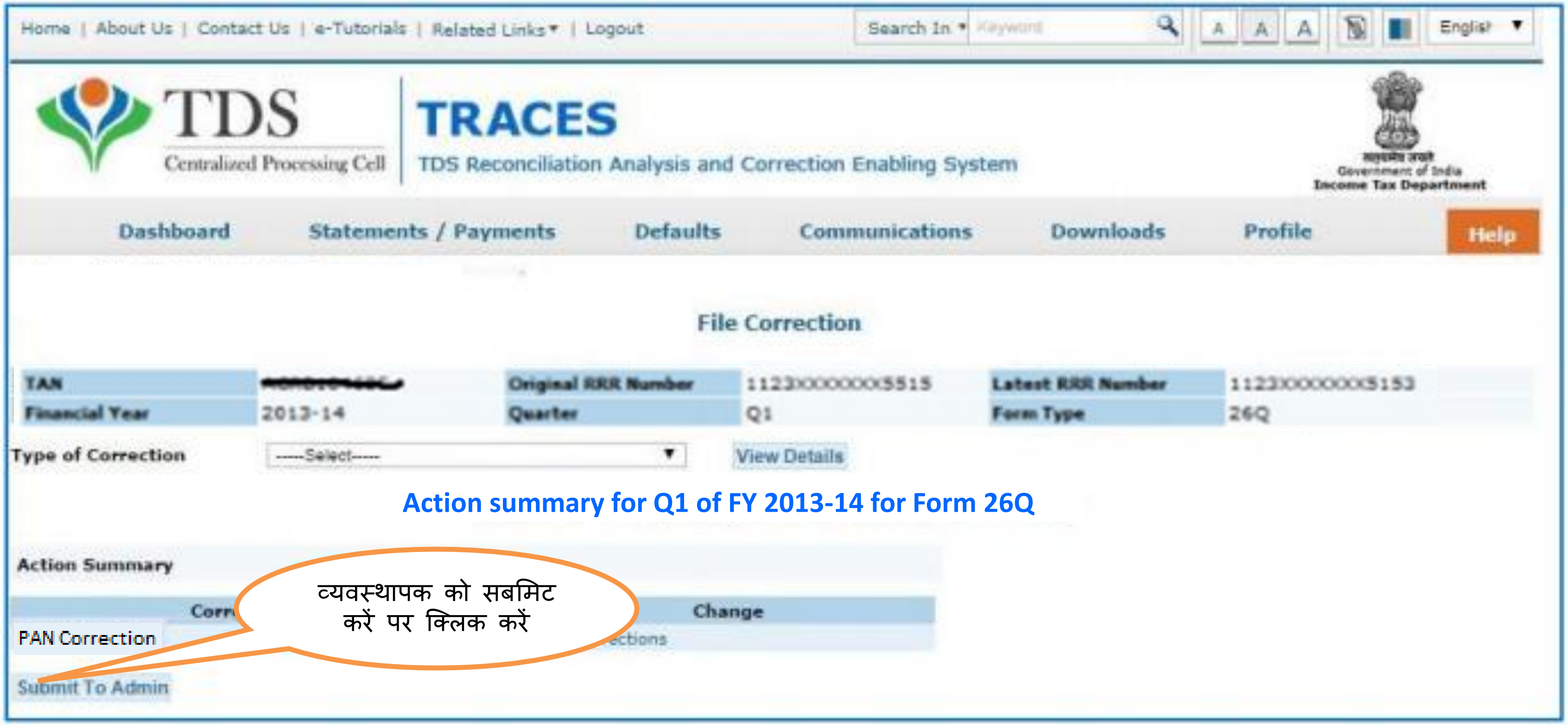

ऊपर स्क्रीन तब प्रकट होगी जब उप उपयोगकर्ता द्वारा सुधार किया जाएगा

क्रियान्वयन सारांश

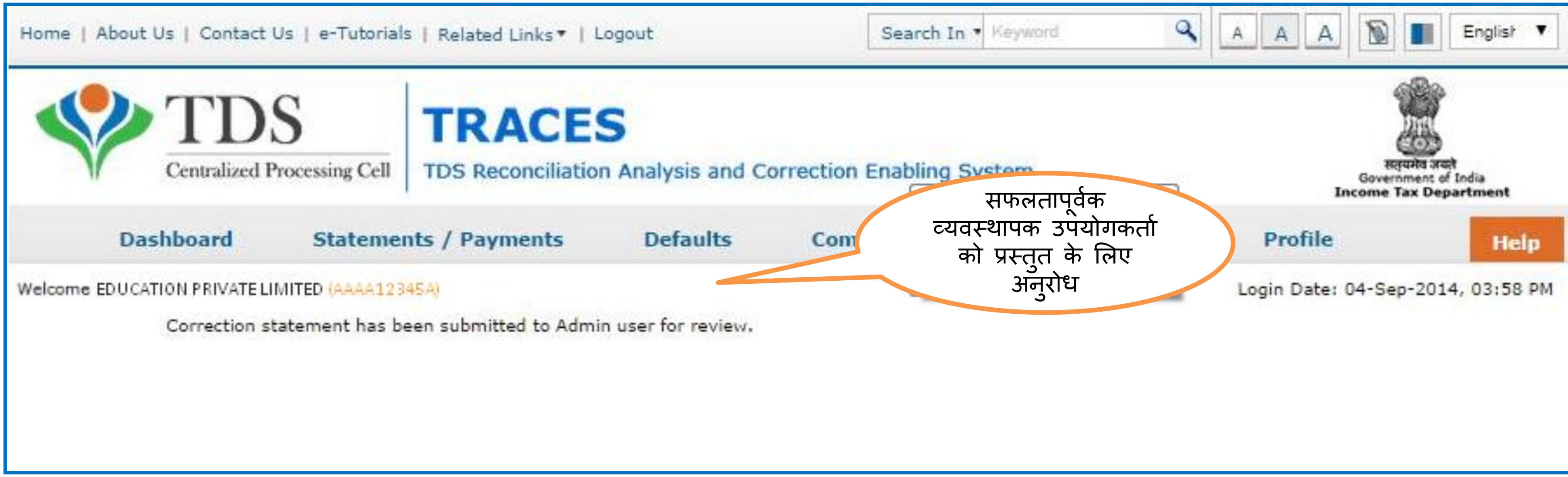

अनुरोध व्यवस्थापक उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उप-उपयोगकर्ता तैयार सुधार को प्रस्तुत नहीं कर सकता हैं। उप-उपयोगकर्ता केवल उनके द्वारा सेव स्टेट्मेंट को देखने के लिए सक्षम होगा ।

क्रियान्वयन सारांश – संपादित स्टेट्मेंट देखें

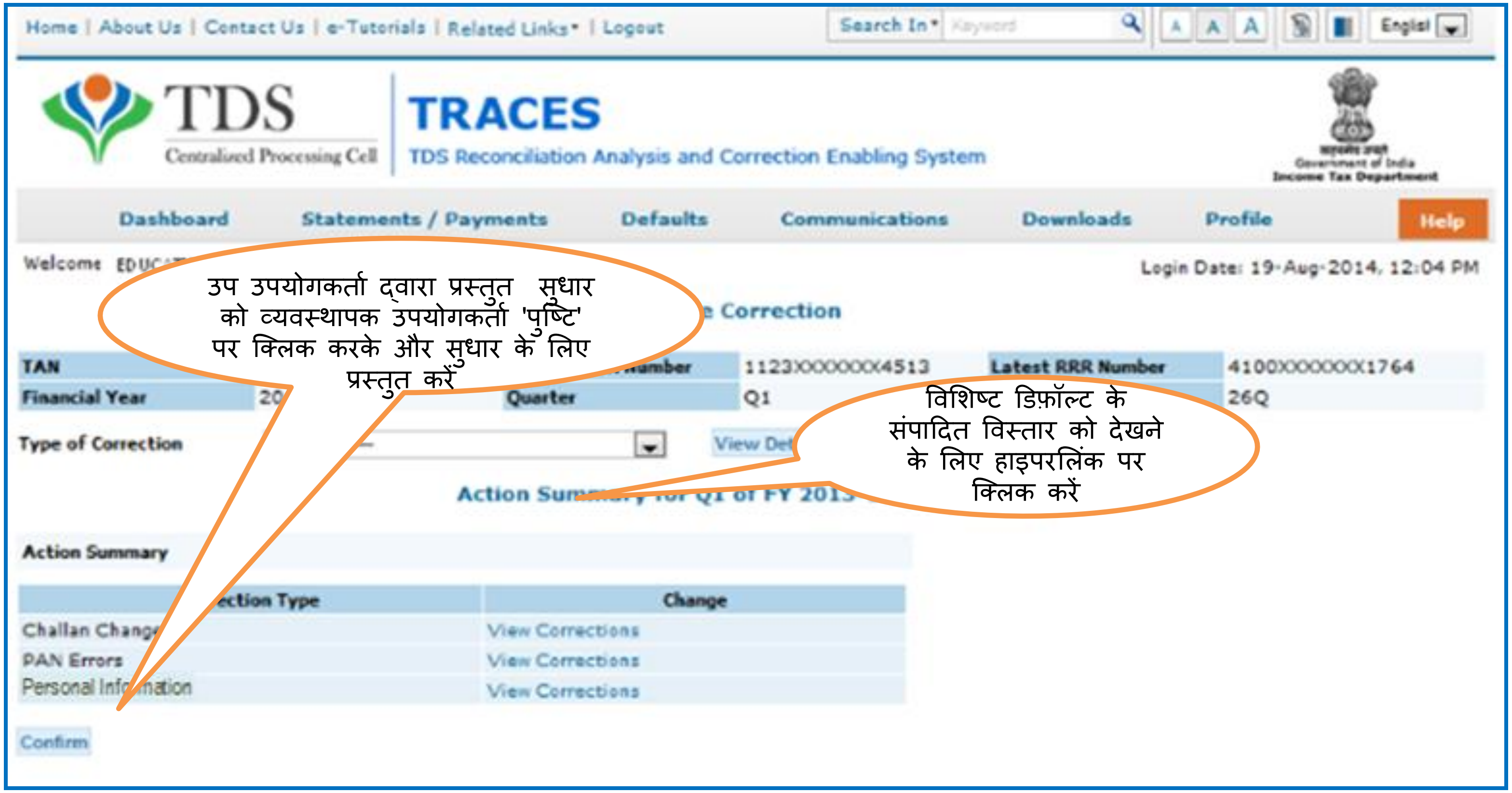

व्यवस्थापक उपयोगकर्ता और उप-उपयोगकर्ता दोनों सेव स्टेट्मेंट को देखने में सक्षम हैं।

Copyright © 2012 Income Tax Department

क्रियान्वयन सारांश – व्यवस्थापक उपयोगकर्ता लॉग इन

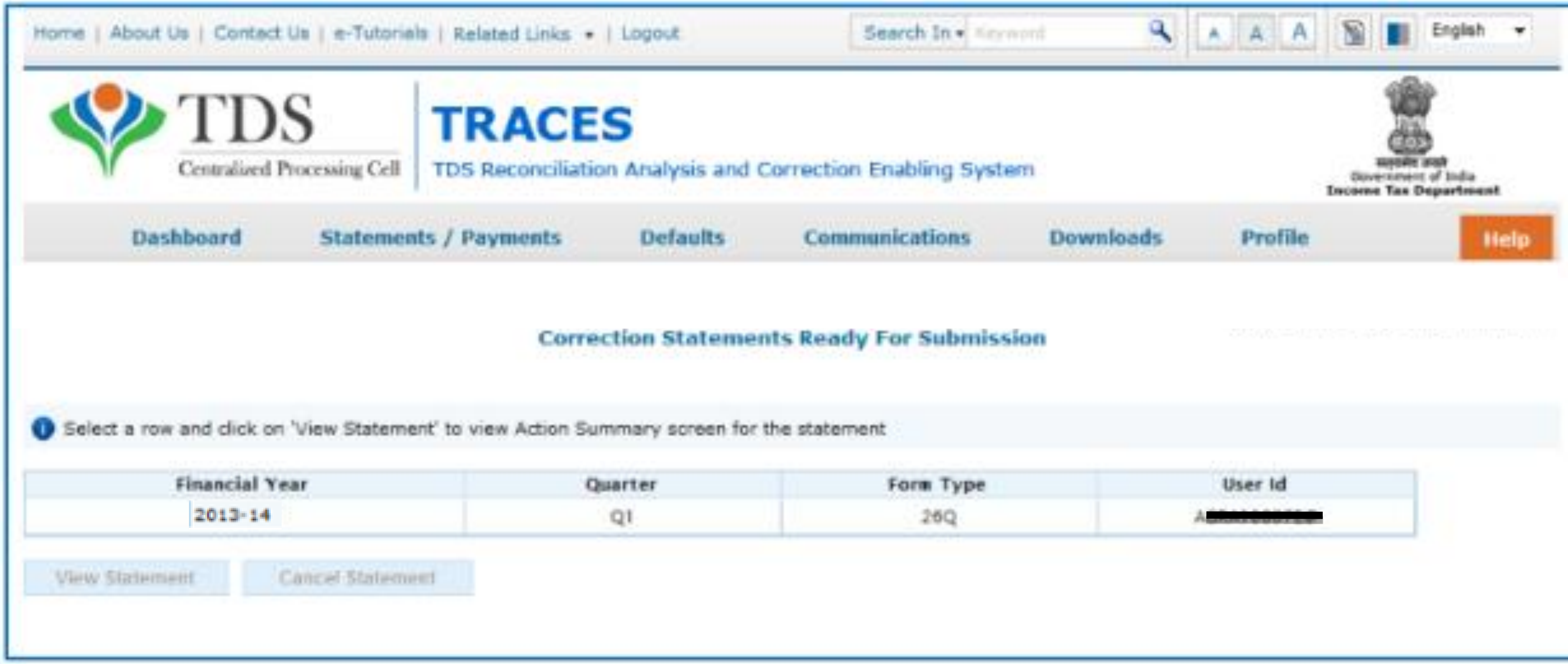

क्रियान्वयन सारांश – व्यवस्थापक उपयोगकर्ता

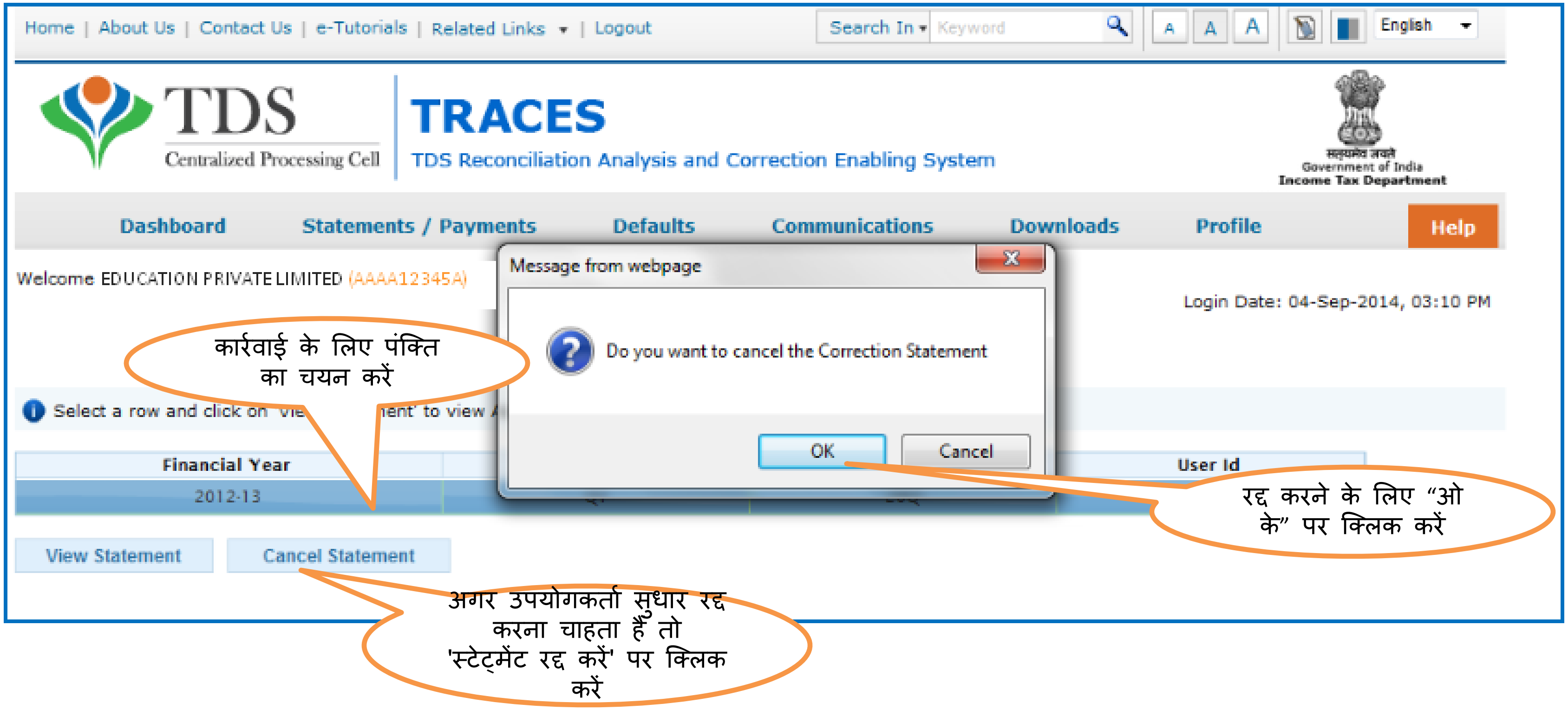

क्रियान्वयन सारांश – व्यवस्थापक उपयोगकर्ता

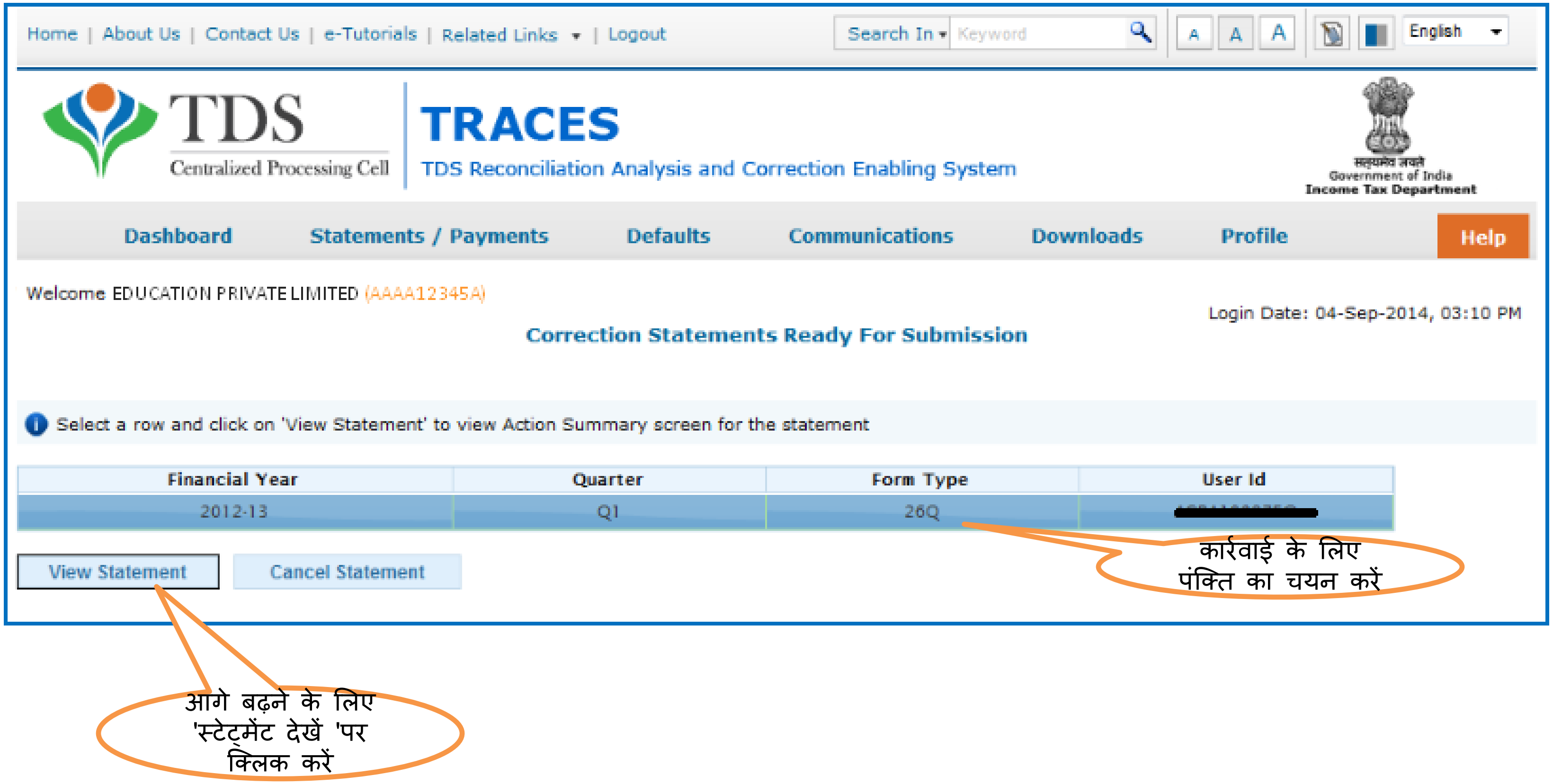

Copyright © 2012 Income Tax Department

क्रियान्वयन सारांश – प्रसंस्करण के लिए सबमिट करें

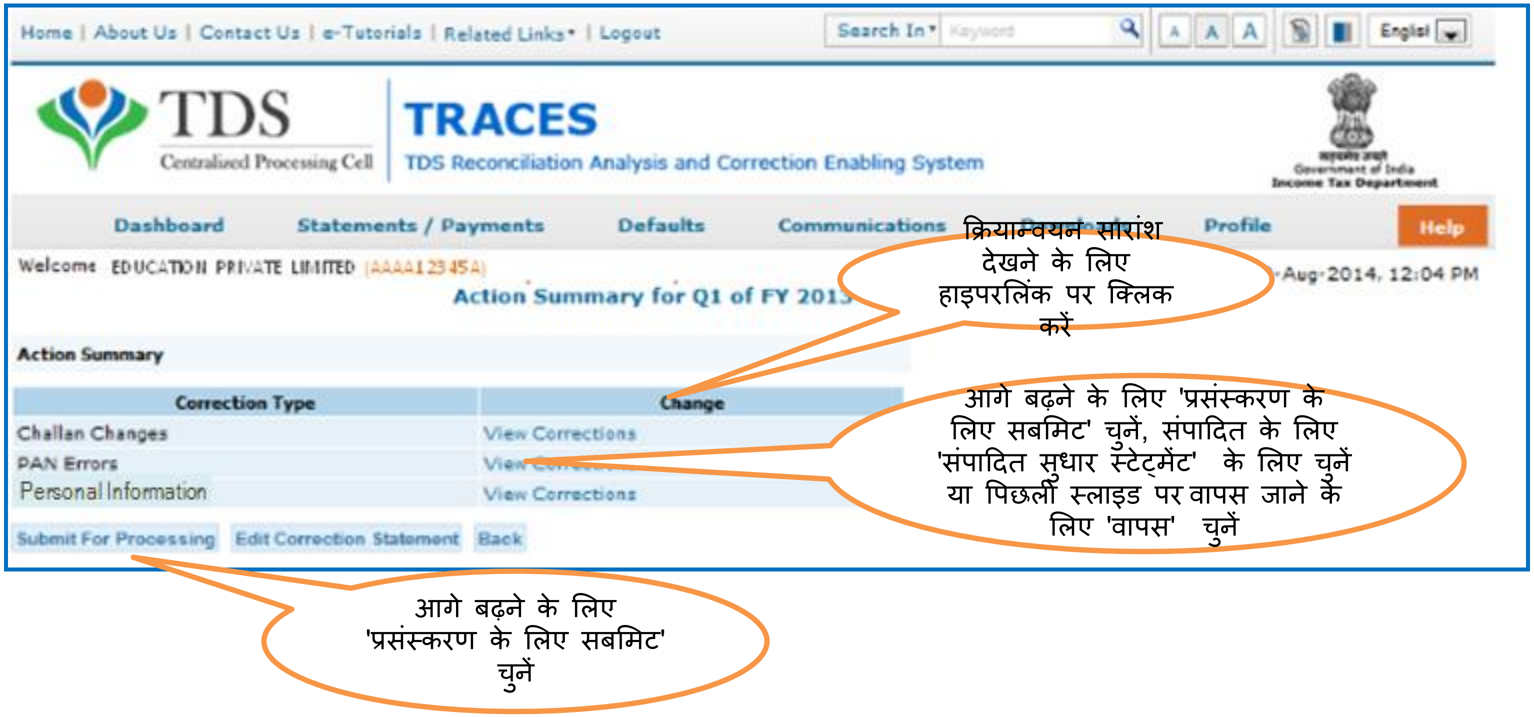

व्यवस्थापक उपयोगकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न कर आगे बढ़े और सुधार प्रस्तुत करें।

क्रियान्वयन सारांश - डिजिटल हस्ताक्षर अटॅच करे

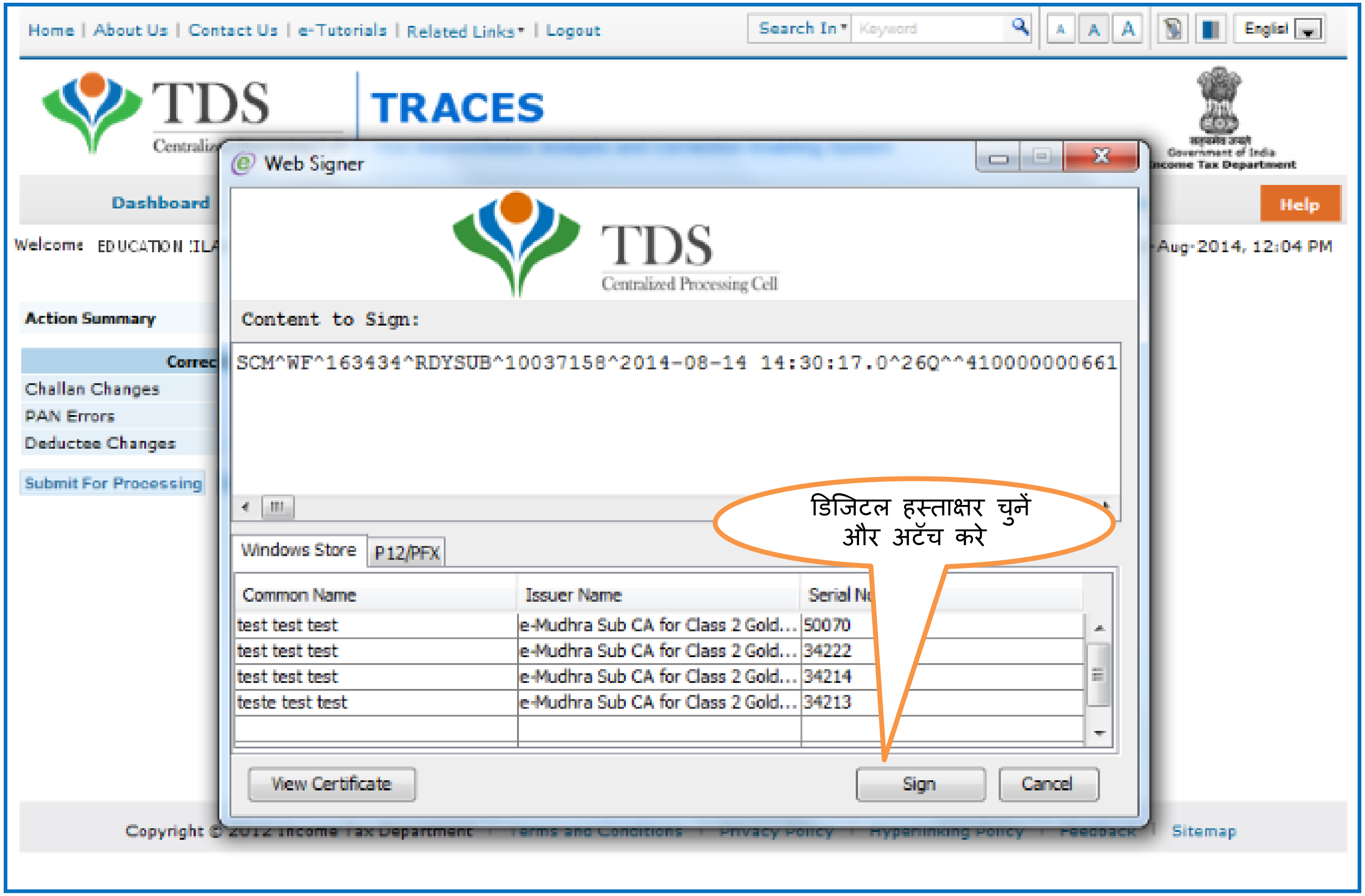

क्रियान्वयन सारांश - टोकन संख्या उत्पन्न

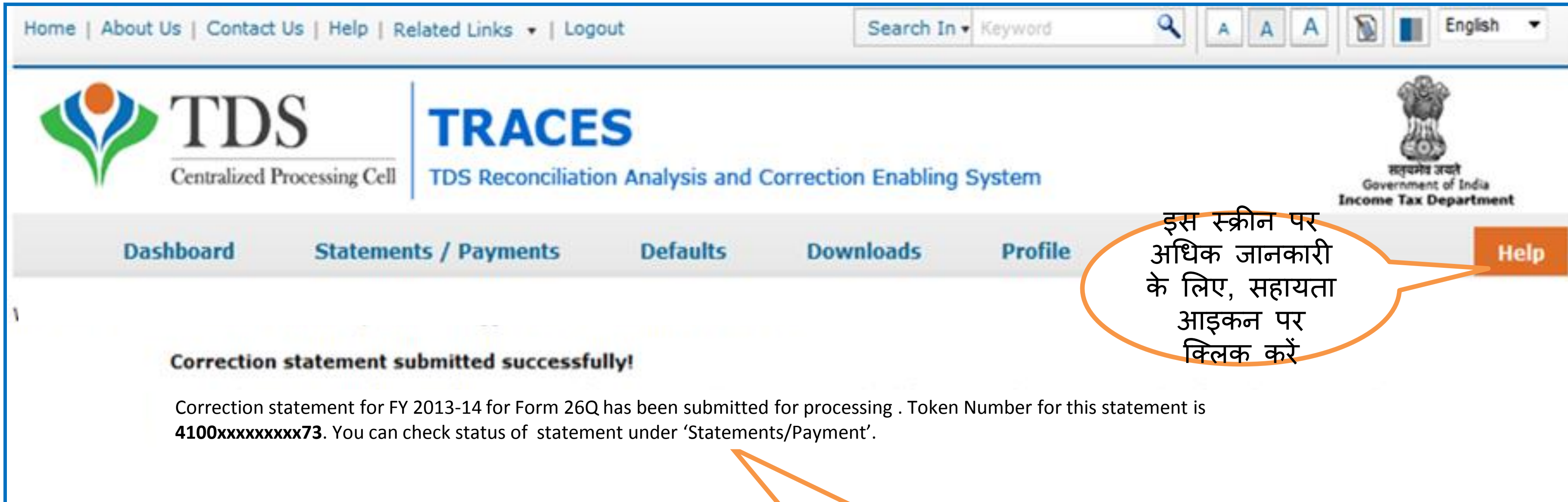

इस स्क्रीन पर अधिक जानकारी के लिए, सहायता आइकन पर क्लिक करें

सुधार स्टेट्मेंट सफलतापूर्वक प्रस्तुत की हैं यह संदेश दिखाया जाएगा

भविष्य में संदर्भ के लिए टोकन नंबर नोट करें ।

सत्यमेव जयते
Government of India
Income Tax Department

TDS Centralized Processing Cell | TRACES
TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System

धन्यवाद

कृपया ध्यान दें :

1) **प्रतिक्रिया के लिए :** आप हमें अपनी प्रतिक्रिया contactus@tdscpc.gov.in पर साझा कर सकते हैं ।

2) **किसी भी प्रश्न के लिए :** आप ट्रेसेज़ वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत के रूप में 'रिक्वेस्ट फॉर रेज़ल्यूशन (समाधान के लिए अनुरोध)' पर अपनी राय रख सकते हैं ।

3) **वेबसाइट से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए :** आप नीचे वर्णित नंबर पर अपने तथ्य रख सकते हैं ।

टोल फ्री नंबर - 1800103 0344
लैंड लाइन नंबर- 0120 4814600

Copyright © 2012 Income Tax Department